

प्रिण्ट,

मनोज कुमार सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),  
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 21 जून 2021

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फंड-2 (2020 से 2024) के क्रियान्वयन हेतु गाइडलाइन।

संदर्भ:-

उत्तर प्रदेश की कुल आबादी (वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार) में 19.96 करोड़ थी, जिसमें ग्रामीण आबादी 15.53 करोड़ थी, जो (77.72) प्रतिशत था। कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या 2.57 करोड़ थी। प्रदेश निरंतर समय से पूर्व ही ओडीएफ का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फंड-1 (2014 से 2019) का लक्ष्य पूरे में शीप से मुक्ति (Open Defecation Free) (ओडीएफ) था। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रदेश में लगभग 2.28 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया और बड़े पैमाने पर सामुदायिकों में व्यवहार परिवर्तन के लिए कार्य किया गया।

2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फंड-2 के लक्ष्य निम्नलिखित हैं -

- ओडीएफ की स्थिति बनाए रखना।
- सोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन (LWM)
- ग्रामीण क्षेत्र आमतौर पर देखने में साफ-सुथरा (Visible Cleanliness) होगा चाहिए।

3. ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखना :

(i) इस मद्द में नए परिवार, जिन्हें पारा व्यक्तिगत शौचालय नहीं है, उनका व्यक्तिगत शौचालय निर्मित किया जाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 9.50 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना है।

(ii) पूर्व से निर्मित व्यक्तिगत शौचालय, जो उपयोग में न आए जाने की वजह से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से निष्प्रयोग से हो गए हैं, उनको रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया जाना है। यह कार्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध शेबीटेशन मद (टाईट फण्ड) की धनराशि से कराया जाएगा।

(iii) सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रख-रखाव :

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय निर्मित किए जाने का निर्णय गत वर्ष लिया गया था। इन शौचालयों को पूर्ण किया जाना है और इनके रख-रखाव के लिए

*Handwritten signature*

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चयनित महिला को हस्तगत किया जाना है। इस विषय पर पूर्व में निर्गत सारनादेश के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य को प्रत्येक परा में अगले 02 माह के अन्दर पूर्ण किया जाएगा तथा रख-रखाव के लिए स्वयं सहायता समूह की महिला का भवन अन्तिम करारें हुए रख-रखाव के लिए कम से कम 03 माह की धनराशि स्वयं सहायता समूह को स्थानान्तरित की जाएगी। सामुदायिक शौचालय के निर्माण का कार्य स्वच्छ भारत मिशन व मनरेगा की प्रवर्धशि से किया जाएगा। इसके रख-रखाव का व्यय वित्त आयोग के अन्तर्गत सेनीटेशन नद (टाईड कान्ड) में उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा।

4. ग्राम पंचायतों में ओडीएफ + के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शासन एड संकल्पित हैं। सभी ग्राम पंचायतों पंचाशीष्ठ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 में टोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से ओडीएफ + के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर टोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाता है। गाँव में टोस कचरे का प्रबन्धन करने के लिए कम्पोस्ट पिट का निर्माण किया जाता है। इस कार्य में गाँव की जन सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। गाँव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कूड़े के समुचित निस्तारण के लिए जिम्मेदार हो, इसके लिए समय-समय पर कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाए।

#### 5. सफल टोस अपशिष्ट प्रबंधन के विध्वान्त :-

- (i) सामग्री का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही उससे जनित अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- (ii) अपशिष्ट की छटाई वैज्ञानिक व अतीविक या उसके उप-भाग के वर्गों में पुनर्करण अथवा अपशिष्ट प्रबंधन की कुती है।
- (iii) कुशल टोस अपशिष्ट प्रबंधन एक व्यवहार में बदलाव का कार्यक्रम है।
- (iv) जिस स्थान पर अपशिष्ट जमित होता है उसके जितना नजदीक संसक उपचारित किया जाये, अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य उतना ही सफल होता है।
- (v) एक सफल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम केवल सामुदायिक जिम्मेदारों के माध्यम से ही हो सकता है।

6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लेण्डफिल या कृषिग रासायन विभिन्न एजेंट एवं मिश्रणों के माध्यम से अब पूर्णतः प्रतिबन्धित है तथा यह एक दण्डनीय अपराध है।

7. पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अम में संक्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ द्वारा प्रदेश को 4 जोन में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन से एक-एक जागह की 4-4 ग्राम पंचायतों का टोस अपशिष्ट के विषय पर परिवार स्तर का सर्वेक्षण सितम्बर, 2020 में किया गया। सर्वेक्षण के माध्यम से बात हुआ कि प्रदेश में औसतन 77 ग्राम टोस अपशिष्ट प्रति व्यक्ति प्रति दिन जमित होता है। ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के अनुसार टोस अपशिष्ट की मात्रा में विविधता पायी गयी जो निम्नवत् है-

*Handwritten signature*

क्रम सं.	ग्राम पंचायत की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट
1	01-1999 तक	00 ग्राम
2	2000-5000 तक	85 ग्राम
3	5000-10,000 तक	75
4	10,000 से अधिक	80

8. उपरोक्त सर्वेक्षण के दौरान ठोस अपशिष्ट को भोगीवार वर्गीकृत किया गया है, जो स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	ठोस अपशिष्ट का प्रकार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन उत्पन्न अपशिष्ट टन में	प्रतिशत
1	Bio-degradable Waste (जैविक)	44	57
2	Inert Waste	17	22
3	Recyclable Waste	13	17
4	Hazardous Waste	3	4
	Total	77	100

राजनीकी सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त की गई उपरोक्त ठोस अपशिष्ट की मात्रा व प्रकार के अनुसार ही प्रदेश की ग्राम पंचायतों में परिवेक्षण का क्रियान्वयन किया जाएगा।

9. ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार किया जाना:

(i) घरेलू और थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं (सूत्रावास, बाजार, टिकाइ होल, आदि) को पहचान करना और उत्पन्न कचरे की मात्रा निर्धारित करना।

(ii) जैविक अपशिष्ट और मवेशियों के गोबर के अपशिष्ट का आकलन करना।

10. कूड़े का संग्रह - गांव में नियमित रूप से घरेलू और थोक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से अपशिष्ट एकत्र करने के लिए योजना विकसित की जानी है। गृह स्वामी निर्धारित स्थान पर सामुदायिक कूड़ेघान में भी इसे डाल सकते हैं।

11. संग्रहण और कम्पोस्टिंग केंद्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रांगण (घाई) बनाया जाना है, जो "एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र" (ISWMC) के नाम से जाना जाएगा। उक्त के निर्माण के लिए राजस्व ग्राम स्तर पर कम से कम 1500 वर्ग मीटर भूमि चयनित की जाए। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में प्लास्टिक के संग्रहण, परिवहन व प्रसंस्करण में लगे व्यक्तियों/फर्मों को पहचान करे और उनसे बातचीत कर इस तरह के समाधान को निव्वालेंगे कि क्या प्लास्टिक/थर्मिकोल को पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है तो उसे निजी तौर पर कार्यरत व्यक्ति/फर्म के प्रसंस्करण के लिए किस रेट पर लिया जा सकता है। पंचायती राज विभाग द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाएगा कि गिकरत सप्लाइस स्तर पर प्लास्टिक के प्रसंस्करण के लिए तैयारी खाने वाली इकाई निजी सहभागिता में स्थापित की जा सके। अन्वया की स्थिति में इसे विभाग द्वारा स्थापित एवं संचालित करने का कार्य कराया जाएगा।

*Manoj*

12 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जैविक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु सफल प्रवृत्ति के रूप में कम्पोस्टिंग पर जोर देता है। सभी कानों में सामुदायिक स्तर पर गीले अपशिष्ट का प्रचलन खाद गढ़ों (पिट कम्पोस्टिंग) के माध्यम से किया जाना है। पिट कम्पोस्टिंग दो प्रकार की होती है (क) सामुदायिक स्तर पर कच्चा खाद गढ़ना (ख) सामुदायिक स्तर का पक्का खाद गढ़ना। कम्पोस्टिंग द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें ठोस कचरे के आर्गेनिक घटकों को जैविक रूप से विघटित किया जाता है और उसे निश्चित स्थितियों में ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उसे आसानी से प्रबंधित करके किया जा सकता है या जमीन में खाद के रूप में मिलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कर्मीफेरिक मापदान बनता है और जैविक रूप से उत्पन्न इस गर्मी के कारण अन्तिम उत्पाद कम्पोस्ट (खाद) होता है, जो कि कीटाणुओं और सूक्ष्म जीवों से मुक्त खाद स्थिर होता है, जिसके उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्व भी बढ़ता है।

### 13. कम्पोस्टिंग की विधि :

#### (i) सामुदायिक स्तर पर कच्चा खाद गढ़ना

##### निर्माण विधि एवं लागत

- जमीन की सतह के नीचे 1 (गहराई) × 1.5 (पीडाई) × 3 (लम्बाई) मीटर गहरा खाद लें।
- गढ़ों की तलहटी में चिकनी मिट्टी का लेप लगा दें।
- यह कच्चा गढ़ना है इसमें ईंटों की आवश्यकता नहीं है।
- 150 मिमी० गीला जैविक कूड़ा की परत के बाद गीला गोबर डाल दें।
- गीले गोबर की परत के बाद दुर्गंध और मच्छी मक्खर से बचने के लिए मिट्टी की पाली की परत बिछा दें, करीब सप्ताह में एक बार।
- इसके बाद गीला जैविक कूड़ा 150 मिमी० की परत में डालते रहें।
- जमीनी सतह से 300 मिमी ऊपर तक जैविक गीला कच्चा संग्रहित किया जा सकता है।
- गढ़ना बनने के उपरान्त 300 मिमी० ऊपर तक हुआ कचरा स्वतः जमीनी सतह के बराबर आकर बैठ जाता है।
- मिट्टी का मोटा लेप लगाकर गढ़ों को सील (बंद) कर दें।
- 3 से 6 माह की अवधि में कचरा खाद के रूप में परिवर्तित हो जायेगा, उसे निकाल कर खाद को उपयोग कर सकते हैं।

लागत (1 खाद गढ़ना के लिए) – तीन मानव दिवस (अधुआल)

#### (ii) सामुदायिक स्तर का पक्का खाद गढ़ना

##### निर्माण विधि एवं लागत

- जमीन की सतह के नीचे 1 (गहराई) × 1.5 (पीडाई) × 3 (लम्बाई) मीटर गहरा खाद लें।
- ईंटों के द्वारा आयताकार का 225 मिमी० चौड़ेदार गढ़ना (Honeycomb)
- गढ़ों की तलहटी को सीमेंट व ईंट के द्वारा पक्का न करें।
- 150 मिमी० गीला जैविक कूड़ा की परत के बाद गीला गोबर डाल दें।

- गीले मोहर की परत के बाद दुर्गन्ध और मक्खी सञ्चर से बचने के लिए मिट्टी की परतहीरी परत बिछा दें करीब सप्ताह में एक बार।
- इसके बाद गीला जैविक कूड़ा 150 मिमी० की परत में डालते रहें।
- जमीनी सतह से 100 मिमी ऊपर तक जैविक गीला कचरा संकलित किया जा सकता है।
- गड़दा भरने के उपरान्त 300 मिमी० ऊपर उठा हुआ कचरा स्वतः जमीनी सतह के बाहर सरकर बैठ जाता है।
- मिट्टी का मोटा लेप लगाकर गड़दे को सील (बंद) कर दें।
- 3 से 6 माह की अवधि में कचरा खाद के रूप में परिवर्तित हो जायेगा, उसे निकाल कर खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

सागत (1 खाद गड़दा के लिए) —

- 1200 ईट
- 3 सीमेंट की बोरी
- 20 घनाफिट रेत
- 3 मानव दिवस (अकुशल)
- 2 मानव दिवस (सुशल)

14. कम्पोस्ट गड़दा बनाने के लिए स्थल के चयन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना है—

- (i) गड़दे का स्थान निचले क्षेत्र में और जलसंचालन रस्तों क्षेत्र अथवा जल स्रोतों एवं जलाशयों के पास के क्षेत्र में न हो।
- (ii) स्थल से कचरे और खाद की दुलाई सुगम्य हो।
- (iii) जिन स्थानों पर जल-साठ संभा हो और स्नाह की मजदूरीक हो उन्हें कम्पोस्ट गड़दे के निर्माणार्थ नहीं चुना जाना चाहिए।
- (iv) हवा के बहाव की दिशा को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन किया जाए ताकि रिहायशी क्षेत्रों में दुर्गन्ध न आए।
- (v) गड़दे में पानी के रिसाव को रोकने के लिए गड़दे के चारों ओर एक कंध बनाया जाए।
- (vi) मिट्टी की स्थिति के अनुसार गड़दे की दीवार सीधी या काल वाली बनाई जाए।
- (vii) स्थल की आवश्यकताओं और भूमि उपलब्धता तथा सृजित जैविक कचरे की मात्रा के अनुसार गड़दे की संख्या और उसके आकार में बदलाव किया जा सकता है।
- (viii) यदि वह औद्योगिक, वाणिज्यिक, बाजार केन्द्र हो तो सृजित कचरे की मात्रा के अनुसार अतिरिक्त गड़दों का निर्माण किया जाएगा।
- (ix) सृजित कचरे की मात्रा, बस्तियों की संख्या और परिवारों की संख्या तथा कम्पोस्ट गड़दे खोदने के लिए उपलब्ध जमीन के आधार पर आवश्यकतानुसार गड़दे के समूह में उपयुक्त बदलाव किया जा सकता है। गड़दे के बीच की दूरी कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए।

*Handwritten signature*

15. गोबर के लिए केंचुएँ गढ़वे (वर्मीकम्पोस्टिंग) — सामुदायिक स्तर पर  
 केंचुआ खाद या वर्मीकम्पोस्ट (Vermicompost) पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ के द्वारा गोबर, कम्पस्तिषो एवं भोजन के अपशिष्ट आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कम्पोस्ट में पदार्थ नहीं होती है और गहरी एवं मजबूत नहीं बढ़ते हैं तथा जलवायु प्रदूषित नहीं होता है। सामान नियंत्रित करने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। वर्मी कम्पोस्ट (खाद) डेढ़ से दो माह के अन्दर तैयार हो जाता है। गोबर संग्रहण और वर्मीकम्पोस्टिंग केंद्र की स्थापना करने के लिए ग्राम स्तर पर गीले अपशिष्ट के लिए प्रांगण (बाई) बनाना है ( विनिर्देश, आकार और लागत - संलग्नक)। निर्माण के लिए ग्राम स्तर पर भूमि (कम से कम 1500 वर्ग मीटर) जो पहले उल्लिखित की गई है, इसी में वर्मीकम्पोस्टिंग की जाती है।

निर्माण विधि एवं लागत

- जमीन की सतह के ऊपर 2 (गहराई) × 3 (चौड़ाई) × 6 (लम्बाई) फिट की ब्यारियो बनाये।  
 ईंटों के द्वारा आयताकार 4इंच मोटी दीवार का गढ़वा बनाये।
- गढ़वे में गोबर एवं केंचुएँ डालें।
- प्रतिदिन गोबर की मात्रा — 25 से 30 KG
- वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन प्रतिमाह — 250 से 300 KG
- 300000 केंचुओं से 1 टन वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन होता है।

लागत (1 ब्यारी के लिए) —

- 13 घनफिट खुदाई
- 300 ईंट
- 25 घनफिट रेत
- 2 बोरे सीमेंट
- 13 घनफिट मोटी मिट्टी
- 6 घनफिट छोटी मिट्टी
- 13 घनफिट ब्रह्मी मिट्टी
- 3 फिट लम्बा पीठवीसी0 फईप
- 1 मानव दिवस राज मिन्नी
- 2 मानव दिवस अकुशल श्रमिक

स्थल की आयामकक्षाओं और भूमि उपलब्धता तथा सुविधा गोबर की मात्रा के अनुसार ब्यारियो की संख्या बढ़ाई जायेगी।

एकीकृत तीस अपशिष्ट प्रबन्धन केंद्र (ISWMC) का संचालन ग्राम पंचायतों स्वयं कर सकती हैं अथवा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करा सकती हैं। ग्राम पंचायतों स्वतंत्र होती कि (ISWMC) के विभिन्न गतिविधियों को एक साथ करा सकती हैं अथवा इन्हें

*Manaf*

पृथक-पृथक जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कता सकती है। (एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र का ले-आउट, मॉडल आगमन एवं मटेरियल रिकवरी फीसिलिटी (A) का ले-आउट संलग्न है।)

#### 18. प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण एवं निस्तारण:

ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 2.73 ग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। उत्तर प्रदेश में एक ग्राम पंचायत की औसत जनसंख्या 2843 है। एक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का औसत वजन  $2.73 \times 2843 = 7.2$  किग्रा। एक ग्राम पंचायत में प्रतिवर्ष उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का औसत वजन  $7.2 \times 365 = 2630$  किग्रा। न्यूनतम मूल्य 2 रुपये प्रति किग्रा प्रतीत होता है। संग्रहकर्ता को न्यूनतम मूल्य या वस्तुिक किंमि का 50-50 प्रतिशत संग्रह कार्ता और ग्राम पंचायत के बीच साझा किया जाएगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण, भंडारण, दुलाई और निपटार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों में उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। पंचायती राज अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश सं०-283(1)/33-3-2020-154/2014 टी.सी. दिनांक 20 जुलाई, 2020 द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इन प्रतिबन्धों का कतोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना ग्राम पंचायत की अपने क्षेत्र में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

#### सकल ग्राम स्तर पर भंडारण की सुविधा एवं यथासम्भव कंटेनी

विभिन्न स्तरों पर ज़रूरी गैरलू स्तर, विद्यालय एवं आंगनवाड़ी, पंचायत घर, सामुजिक क्षेत्र और बाजारों में सुजित अपशिष्ट के प्रकार और मात्रा का आकलन करना है। प्रत्येक घर, सामुजिक केंद्रों, संस्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्करण और उसे सफरत राम स्तर के एकत्रीकरण सुविधा केन्द्र पर भेजा जाना है। संग्रहण, एकत्रीकरण एवं पृथक्करण का कार्य प्रत्येक सकल ग्राम स्तर पर शीघ्र बनाकर किया जाएगा। संग्रहित किये गये प्लास्टिक अपशिष्ट को अच्छी तरह ढोककर सुखाया जाना, प्लास्टिक अपशिष्ट को छांट कर अलग-अलग करना तथा बोरी में प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण व सुरक्षित भंडारण किया जाना है।

#### ब्लॉक स्तर पर सामग्री रिकवरी सुविधा/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई

संग्रहण तथा एकत्रीकरण केंद्रों से प्लास्टिक अपशिष्ट को ब्लॉक स्तर पर ले जाना जहाँ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (PWMC) स्थापित किए जाएंगे। इस केंद्र के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्मित की गयी नार्म निर्देशिका में 18 लाख रुपये प्रति ब्लॉक के हिसाब से अनुमानित प्रावधानित की गयी है, जिसका उपयोग किया जाएगा। ऐसे केंद्रों में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को घटाने के लिए एक कटाई और बेलिंग मशीन होगी। पुनःसक्रिय कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा केवल प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है (Re-using plastic in construction of roads in the Indian Road Congress Code SP: 98-2013) अथवा सीमेंट उद्योगों में सह-प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जा सकता है।



### 17. अरैलू निष्प्रगोष्म जल/सी वाटर के लिए सोखता गड्ढे

प्रत्येक राज्य/राज्य में जहाँ व्यक्तिगत सोखता गड्ढा एवं सामुदायिक सोखता गड्ढे से भी तत्काल अपशिष्ट का प्रबंधन सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह सुनिश्चित किया जाए कि नौर की आबादी के पास जो मुख्य तालाब है, उसमें किसी भी दशा में नौर का गन्दा पानी न जाये। इसलिए आवश्यकतानुसार भालों का निर्माण कर अथवा पाइपलाइन के माध्यम से गदें पानी को आबादी से दूर स्थित वेस्ट स्टोविलाइजेशन पाण्ड गदें पानी के उपचार के लिए बनाए, इसे वहाँ ले जाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गदें जल के प्रबंधन के लिए व्यवसायिक पद्धति के रूप में सोखता गड्ढे को बढ़ावा देना है। व्यक्तिगत सोखता गड्ढों के निर्माण में आने वाली लागत का वित्त प्रेषण परिवार के स्वयं के संसाधन से, मनरेगा, राज्य वित्त आयोग/केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकता है।

सामुदायिक सोखता गड्ढे का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन में प्राथमिकता धनराशि एवं मनरेगा से किया जाएगा।

#### निर्माण विधि एवं लागत

- जमीन की खात के नीचे 1 (गहराई) × 1 (चौड़ाई) × 1 (लम्बाई) मीटर गड्ढा खोद ले।
- गड्ढे की तलहटी से 250मिमी०, 125 से 150मिमी० आकार के पत्थर भर दें, उसके बाद नीचे से 250मिमी० की दूसरी परत में 100 से 125 मिमी० के पत्थर भर दें, उसके उपर 250 मिमी० की तीसरी परत में 50 से 75 मिमी० के पत्थर भर दें।
- सबसे ऊपर 225 मिमी० का एक मिट्टी का घड़ा 5 से 6 सेंटी मीटर ऊपर रख दें और घड़े में रेत भर दें।
- गड्ढे की उपरी परत पर 25 मिमी० आइ की परत बिछा दें, उसके ऊपर एक बोरी से ढक दें, बोरी के उपर 25 मिमी० आइ की एक और परत बिछा दें।
- आइ के ऊपर कीचड़ का लेप लगा दें।
- उसके बाद 225 मिमी० से 250 मिमी० की सूखी मिट्टी की परत बिछा दें।
- 200 × 200 मिमी० का एक चैम्बर घड़े के चारों ओर बना दें, जिसकी गहराई 20 मिमी० की होगी।

#### लागत (1 सोखता गड्ढे के लिए) -

- 7.5 घनफिट 125 से 150 मिमी पत्थर
- 7.5 घनफिट 100 से 125 मिमी पत्थर
- 7.5 घनफिट 50 से 75 मिमी पत्थर
- एक टाट की बोरी
- एक मिट्टी का घड़ा
- 1.5 मी. 50मिमी व्यास की पाइप
- 1 मानव दिवस (अकुशल)
- 1 मानव दिवस (कुशल)

स्वयं की आवश्यकताओं और भूमि उपजाऊता तथा सुजिल गोबर की मात्रा के अनुसार सोखता गड्ढे की संख्या बढ़ाई जायेगी।

*Manoj*

**18. प्राथमिक स्वच्छता:**

ग्राम पंचायत में आमतौर पर साफ-सफाई की व्यवस्था बनी रहे और लोग गंदगी को अव्यवस्थित तरीके से झुंझ-झुंझ न फेंके, यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :-

- (i) मुख्य मार्गों एवं बाजार के क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मियों द्वारा दिन में कम से कम 04 बार आठू से सफाई की व्यवस्था।
- (ii) मुख्य मार्गों व व्यावसायिक/बाजार के क्षेत्रों में निचट खान पर कूड़ेदान/डम्पर रखना और इसकी नियमित सफाई करना।
- (iii) बाजार में दुकानदारों से एवं ठेके, खामने वालों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना कि दुकान, ठेके आदि पर उत्पन्न हो रहे कूड़े को सीधे अथवा कन्टेनर में एकत्रित करना और उसे डम्पर में ले जाकर डालना।
- (iv) शनिवार व रविवार को ग्राम पंचायत में विशेष स्वच्छता व सीनीटाइजेशन का कार्यक्रम प्रकल्प द्वारा वैकल्प सफाई कर्मी व लैमिनेशन मजदूरों को लगाकर कराया जाएगा।

अंत में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में जो.जी.एफ. परस को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-अपशिष्ट एकत्रीकरण केन्द्र (पाई)

महदीय  
Hans  
(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या व दिनांक:-तदैन।**

**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. सचिव, पंचायत एवं स्वच्छता विभाग, जलसंधित मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. नार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
Hans  
(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।



## एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का मॉडल आगणन

DETAILED ESTIMATE FOR THE PROPOSED CONSTRUCTION OF INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT CENTER							
DETAILS OF MEASUREMENT							
SLNO	ITEMS	NO.	LENGTH	BREADTH	HEIGHT	QUANTITY	UNIT
100	EXCAVATION						
1	Excavation to 10' depth with bottom single barbed wire mesh						
	Use of concrete TSP built as per spec, as per spec						
	Provision for drainage, sewerage	1	100.000	0.5	1.000	100.000	
	Flat concrete	1	100.000		0.10	100.000	
						100.000	Cu.M
101	FOUNDATION						
1	Providing and laying concrete foundation 10' x 10' x 1' concrete, 5' dia and 1'2' dia with aggregate of 20 mm maximum size including supply of all materials labour and T & P etc. required for proper completion of the work and being complete. Note including Dewater in foundation & base.	1	100.000	0.5	0.1	100.000	Cu.M
2	First Class brick work in 1:2 Mortar and the same of 1:2.5 of mortar						
1	1) Foundation and 2) wall including supply of all materials, labour and T & P etc. required for proper completion of the work.	1	100.000	0.4	0.10	100.000	
		1	100.000	0.25	0.10	100.000	
		1	100.000	0.25	0.10	100.000	
						100.000	Cu.M
102	FLOORING						
1	Best class or better including supply of necessary quantity of sand from a distance not exceeding 5 km. 15 mm below the top of	1	10.00	0.10	0.100	10.000	Cu.M

*Manoj*




## एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का मॉडल आगणन


3	<p>First Class (3000) work in T &amp; P stations and the amount of 1.24 P.M. meter</p> <p>It includes the work including supply of all materials, labor and T &amp; P etc. required for proper completion of the work.</p>							
	Rate in per cum of capacity including supply of materials (labour)	72	7.200	0.101	0.11	0.1077600		
	Rate in per cum of length and width of capacity including supply of materials (labour)	12	1.2	0.101	0.11	0.1213200		
	Provision work	1	100.00	0.73	0.11	7.3000000		
	Taxable work	1	1.000	0.101	0.11	0.0077400		
	Deductions							
	Item 1	2	0.214	0.101	0.11	0.0023400		
	Waste work	1	100.00	0.101	0.11	0.0000000		
	Deductions							
	Waste (1)	8	0.004	0.101	0.11	0.0000000		
	Waste (2)	1	1.000	0.101	0.11	0.0000000		
	Other work	1	0.000	0.101	0.11	0.0000000		
	Deductions							
	Waste (1)	1	1.000	0.101	0.11	0.0000000		
	Waste (2)	1	0.004	0.101	0.11	0.0000000		
	Other Supply Work Other	9	21.138	0.101	0.11	2.1339480		
						11.1040000	100%	
	Supervision							
4	<p>First Class (3000) work in T &amp; P stations and the amount of 1.24 P.M. meter is included in the capacity and width of capacity including supply of all materials, labor and T &amp; P etc.</p> <p>It includes the work including supply of all materials, labor and T &amp; P etc. required for proper completion of the work.</p>							
	Rate in per cum of capacity including supply of materials (labour)	1	1.000	0.23	0.11	0.0000000		

*Manoj*


# मटेरियल रिकवरी फ़ैसिलिटी (A) का ले-आउट



Front Elevation of MRF



Plan of MRF



Uttar Pradesh Swachh Bharat Mission Gramin	SCALE NOT TO SCALE (N.T.S.) ALL DIMENSIONS ARE IN MM	DATE 20/05/2021	DWG. NO. B/H/DCI (35) एनएच-33/35 (35/2021)	Uttar Pradesh Non-Food Grain Grain Management (MFC)  Dr. Pankaj Kumar, IAS & MS Liaison Director P.O. No. 21, 2021-2 Bans Road, Lucknow, Uttar Pradesh Uttar Pradesh, India 226002, India
			Drawn By IDC <b>Uttar Pradesh Govt</b> Uttar Pradesh Government	

*Handwritten signature*

प्रेमक:

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 11 जनवरी, 2023

विषय- ग्राम पंचायतों में एकीकृत टोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1040/33-3-2021-116/2020 दिनांक 22.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में एकीकृत टोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र के निर्माण के लिए 1500 वर्ग मीटर की भूमि कर्मिता किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- इस सम्बन्ध में नुबे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपदों द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1500 वर्ग मीटर भूमि की उपलब्धता न होने एवं इतनी मात्रा से टोस अपशिष्ट उत्पन्न न होने की स्थिति में शासन द्वारा सम्बन्ध विधायक विधायक एकीकृत टोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र हेतु न्यूनतम भूमि के क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए 480 वर्ग मीटर की स्वीकृति प्रदान जाती है। (प्राकृत सलान)

अतः इस प्रकरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु चयनित समस्त ग्राम पंचायतों में स्थान की उपलब्धता एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापरक एकीकृत टोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र/आर.आर.सी. सेन्टर का निर्माण कराने तथा ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. स्तन करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

  
(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।


संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

  
(अनंद कुमार खरे)  
संयुक्त सचिव।



## Details of Measurement (ISWMC CENTRE )

## Construction of Integrated Solid Waste Management Centre District Kanpur nagar

S.No.	Particulars	No.		Length	width	H/Depth	Quantity	Unit	
		2	3						4
1	E/W in excavation in trenches for found. Pipes cable etc in ordinary soil etc lift upto 1.5 m. Lead upto 50 m and dressing of sides and removing of bottom and disposal of surplus excavated earth as directed by Est within a lead of 50m. S.I. No. 251								
	Tin Shed	1	14	0.90	0.90	0.90	10.21	cum	
		1	2	15.62	0.60	0.60	11.25	cum	
		1	2	8.32	0.60	0.60	6.98	cum	
		1	2	4.02	0.60	0.60	2.69	cum	
		1	2	1.57	0.60	0.60	1.13	cum	
							Total	31.47	cum
2	W/ of current concrete 1:2:12( 1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size ) and curing complete etc cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 273								
		1	18	0.90	0.90	0.10	1.30	cum	
		1	2	15.62	0.60	0.075	1.41	cum	
		1	2	8.32	0.60	0.075	0.79	cum	
	Floor	1	1	14.79	8.68	0.075	9.64	cum	
							Total	13.89	cum
	deduction	1	18	0.60	0.60	0.10	0.58	cum	
						Total		cum	
3	Laying of CC 1:2:4 cement, coarse sand & 20mm S/Balast mortar etc all the complete work								
		1	18	0.90	0.90	0.30	3.88	cum	
		1	18	0.60	0.60	0.30	1.73	cum	
		1	18	0.45	0.45	0.30	0.97	cum	
		1	1	14.79	8.68	0.050	6.43	cum	
						Total	13.01	cum	
4	Providing and laying of Corugate G I sheet Roofing etc all the complete work (1mm) As per MR								
		1	2	15.25	4.95		150.975	sqm	
		1	1	15.25	0.30		4.575	sqm	
						Total =	155.550	sqm	
5	S/Riding of mild steel square Hollow Pipe.								
	139.7 OD X 3.6MM	1	15	3.05			48.80	Rm	
			1	48.80		12.10 kg/Rm	590.48	Kg	
	50 X 50 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW	1	5	6.15			54.90	Rm	
		2	0	4.55			55.80	Rm	
		6	4	0.30			7.50	Rm	
		5	4	0.45			10.80	Rm	
		0	4	0.70			16.00	Rm	
		5	4	0.90			21.60	Rm	
		0	0	1.20			43.20	Rm	
	1	8	0.90			6.40	Rm		
						Total	298.90	Rm	

Bill has been taken as per received from S&S.

MS/Ms.



		1	218.00	4.00 kg/ftm		862.10	Kg
					Total =	1843.67	Rm
M8 Iron Plate	4	14	0.20	0.20	31.40	70.94	Kg
					G. Total	1813.01	Kg
M150 Class B/W in 1:5 cement and coarse mortar for all the complete work Foundation							
	2	1	15.48	0.46	0.15	2.14	cum
	2	1	6.48	0.40	0.15	1.17	cum
	2	1	15.37	0.35	0.15	1.61	cum
	2	1	8.57	0.35	0.15	0.90	cum
	2	1	15.25	0.33	0.45	3.18	cum
	2	1	6.68	0.23	0.45	1.82	cum
	2	1	15.37	0.23	0.45	3.18	cum
	2	1	6.61	0.23	0.45	1.82	cum
	1	2	3.68	0.45	0.15	0.54	cum
	1	2	1.71	0.48	0.15	0.24	cum
	1	2	3.77	0.38	0.15	0.48	cum
	1	2	1.62	0.35	0.15	0.19	cum
	1	2	3.85	0.23	0.30	0.50	cum
	1	2	1.04	0.23	0.39	0.37	cum
					Total =	17.91	cum
M150 Class B/W in 1:4 cement and coarse mortar for all the complete work Super structure							
	2	1	15.25	0.23	1.50	10.52	cum
	2	1	6.69	0.23	1.50	6.00	cum
	1	1	3.66	0.115	3.00	1.26	cum
	1	1	2.65	0.23	1.50	1.26	cum
	1	1	2.40	0.115	3.00	0.83	cum
	1	1	2.40	0.23	1.50	0.83	cum
Chamber wall for segregated waste	1	9	1.50	0.115	1.20	1.89	cum
Chamber wall for segregated waste	1	1	17.84	0.115	0.60	1.23	cum
	1	4	3.00	0.115	0.60	1.24	cum
	1	1	6.45	0.115	0.60	0.65	cum
					Total =	25.88	cum
deduction	1	1	3.00	0.23	1.50	1.04	cum
	1	1	0.90	0.23	1.20	0.41	cum
	1	1	0.75	0.23	0.75	0.13	cum
					Total =	24.10	cum
12mm thick Plaster in 1:4 cement and 8sand mortar for all the complete work							
	2	1	15.25		1.50	45.75	sqm
	2	1	6.15		1.50	27.45	sqm
	2	1	14.76		1.50	44.27	sqm
	2	1	8.69		1.50	26.07	sqm
	1	2	5.65		3.00	21.60	sqm
	1	2	3.65		1.50	10.85	sqm
	1	2	2.40		3.00	14.40	sqm
	1	2	2.40		1.50	7.20	sqm
	2	8	1.50		1.20	32.40	sqm
	2	1	17.84		0.60	21.41	sqm
	2	4	3.00		0.60	21.60	sqm
	2	1	0.45		0.60	11.34	sqm

						Total =	284.84	sqm
	Reduction	1	2	3.00		1.50	0.00	sqm
						Total =	275.84	sqm
9	Laying of RCC 1:2:4 cement, coarse sand & 20mm S/Dal set mortar for all the complete work							
		1	1	3.65	2.40	0.10	0.80	cum
10	Sup MS Iron Angle Gate	1	1				1.00	No
11	Submersible pump	1	1	1.00			1.00	Job
12	Supplying of MS Iron Angle Gate	1	1	1.00			1.00	Job
13	Finishing of wall with one priming coat & two coat of distemper on new work for all the complete work	1	1			As per same qty item no. 08	275.84	sqm
14	Provision for Photography		1				1	Job
15	Shoring work for drying area	1	1	12.2	3.04B		37.1850	sqm
16	rcc pillars	1	42				42	unit
17	run fencing wire	1	5	78.25			388.25	m
18	soak pit	1	1	1			1	unit
19	Supplying of MS Iron Angle Gate in rcc pillars for main entrance	1	1	1			1	unit

## Consumption of material

S.NO	ITEM	Qty	Cement	Clauud	M 150 Brick	20mm S/S	Round	40mm B/D
1	Laying of CC 1:2:4 cement, coarse & 20mm S/S/Bitul mortar Ic all the complete work	11.01	26.67	5.88		11.71		
2	P/L of cement concrete 1:2:12 ( 1 cement : 5 fine sand 12 graded brick aggregate 40mm nominal size ) and curing complete Ic cost of formwork in foundation and burs as per S.I.No. 273	13.09	29.58				6.15	13.09
3	M150 Class Brk in 1:5 cement and coarse mortar Ic all the complete work Foundation	17.21	22.56	4.64	9237.70			
4	M150 Class Brk in 1:4 cement and coarse mortar Ic all the complete work Super structure	24.10	44.59	6.51	11007.20			
5	12mm Thick Plaster in 1:4 cement and round mortar Ic all the complete work	275.84	33.34				4.14	
6	Laying of RCC 1:2:4 cement, coarse & 20mm S/S/Bitul mortar Ic all the complete work	0.88	5.63	9.39		9.79		
	<b>Total</b>		<b>219.59</b>	<b>17.58</b>	<b>19324.90</b>	<b>12.50</b>	<b>10.29</b>	<b>13.09</b>
	<b>Qty</b>		<b>220.00</b>	<b>17.80</b>	<b>19324.00</b>	<b>12.00</b>	<b>10.30</b>	<b>13.00</b>
			<b>Bag</b>	<b>cum</b>	<b>No.</b>	<b>cum</b>	<b>cum</b>	<b>cum</b>

Bill of quantity					
Material cost					
S.No.	Name of item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	5/0 cement	226.00	Bag	364.00	82256.00
2	5/0 G/sand	17.60	cum	2055.20	36183.52
3	5/0 M/sand	10.30	cum	1592.00	16397.60
4	5/0 40mm G/Balast	12.00	cum	1207.50	14490.00
5	5/0 20mm S/D/Asst	12.50	cum	2771.20	34640.00
6	Providing and laying of Corrugate G Sheet Roofing 1/2 of the complete work (3mm) As per MB	155.53	sqm	350.00	14772.50
7	Supplying of mild steel square Hollow Pipe	1612.01	kg	75.52	121814.28
8	5/0 M100 Brick	15524.00	no.	7.14	110793.36
9	5/0 M1 Iron Angle Gate	1.00	no.	1-5	15000.00
10	5/0 Submersible pump 1.5 hp	1.00	job	1-5	15000.00
11	Electrification work	1.00	job	1-5	15000.00
12	Supplying of M1 Iron Angle Gate Door and Window	1.00	job	1-5	4600.00
13	Finishing of wall with orn painting coat & two coat of distemper on new work 1/2 of the complete work	275.84	sqm	80.60	24715.68
14	Miscellaneous work	1.00	job	1-5	15000.00
15	Provision for Photography	1	job	300.00	300.00
16	Unloading Brick work for drying area	37.1856	sqm	1285.00	47883.50
17	roc pillars (with all grouting work )	42	unit	800.00	33600.00
18	iron fencing wire	386.25	m	7.50	2896.88
19	walk pl.	1	unit	12000.00	12000.00
20	main entrance gate	1	unit	40000.00	40000.00
				Total	834610.87
Labour cost					
S.No.	Name of item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	C/W in excavation in trenches for found. Pica cubic size in ordinary soil 1/6 M upto 1.5 m. Lead upto 50 m and dressing of sides and ramming of bottom and disposing surplus excavated earth as directed by E/I within a lead of 50m. S.I. No. 251	31.47	cum	118.18	3718.84
2	P/A of cement concrete (1:0:12) 1 cement : 6 fine sand : 12 graded brick aggregate 40mm nominal size ) and curing complete (1/2 cost of formwork in foundation and floors as per S.I.No. 271	13.09	cum	590.00	7723.09
3	Laying of mild steel square Hollow Pipe with CC 1:2 cement, G/sand & 20mm G/Balast Mortar 1/2 of the complete work	13.01	cum	840.00	10928.57
4	M100 Class B/W in 1:4 cement and G/sand mortar 1/2 of the complete work Foundation	17.51	cum	850.00	14883.51
5	M100 Class B/W in 1:4 cement and G/sand mortar 1/2 of the complete work Super structure	24.10	cum	1150.00	27721.50
6	12mm Brick Baster in 1:4 cement and 1/wood mortar 1/2 of the complete work	275.84	sqm	54.00	29928.77

2296805/2022/ -3

3	Laying of CC 1:2 cement, c/sand & 20mm S/Balast mortar w/c all the complete work	19.01	num	1550.00	20172.10
				<b>Total</b>	<b>311834.87</b>

## SUMMARY OF COST

Construction of Intermodal Station at ...		
S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	111894.87
2	Material Cost	824610.82
	Total	936505.69
3	Contingency @2%	18728.9138
4	GST @18%	168560.2242
5	Less 5% due to work done by department	-46822.2845
6	Centage @12.5%	117055.7113
7	Add labour Welfare Cess @1%	5364.4563
8	Value Depreciation @1.5%	14046.6835
		1217379.397
	<b>Say</b>	<b>12.18 lakh</b>

मिशन,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

संखनक: दिनांक: 30 जून, 2022

विषय-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत ओपीडीएफओ के स्थापित एवं ओपीडीएफओ प्लस की गतिविधियों को ग्राम पंचायत में सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न तकनीकी विकल्पों का डिजाइन एवं स्टीमेट के संबंध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत ओपीडीएफओ के स्थापित एवं ओपीडीएफओ प्लस की गतिविधियों का क्रियान्वयन प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट को उचित प्रबंधन हेतु किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित प्रबंधन हेतु तकनीकी विकल्पों का डिजाइन इस्टीमेट एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित मार्ग-दर्शिका तैयार कर प्रदेश के समस्त जलपट्टों एवं विकास खण्डों में उपलब्ध कराया गया है। उसमें समस्त सम्भावित तकनीकी विकल्पों का यूनिट इस्टीमेट कास्ट निर्धारित किया गया है। तकनीकी विकल्पों का विवरण उ यूनिट लागत निम्नवत है-

क्र.सं.	तकनीक का नाम	मार्ग-दर्शिका में पृष्ठ सं.	लागत (रुपये में)
1	व्यक्तिगत शौचालय	शलगुणक-01	12000.00 (प्रोत्साहन धनराशि)
2	सामुदायिक शौचालय	संलग्नक-02	285000.00
3	व्यक्तिगत सोपरा गड्ढा (1.2 मी. व्यास और 1 मी. गहराई)	48-50	4050.00
	सामुदायिक सोपरा गड्ढा (2.5 मी. व्यास और 1.8 मी. गहराई)	50-51	14850.00
	व्यक्तिगत सोपरा गड्ढा (1.7 मी. व्यास और 1.25 मी. गहराई)	52-53	6275.00
	सामुदायिक सोपरा गड्ढा (2.7 मी. व्यास और 3 मी. गहराई)	54	22650.00
4	सामुदायिक कम्पोस्ट पिट	23-24	2225.00
5	बिन कम्पोस्टिंग	25-26	300.00
6	नासप कम्पोस्टिंग	27-28	5300.00
7	हॉप कम्पोस्टिंग	30-31	33100.00
8	पपी कम्पोस्टिंग	34-36	29900.00
9	गैमसलन	37-38	90,00,000.00
10	प्लास्टिक मैनेजमेंट	40-43	18,00,000.00
11	बन्सुरसंधी	57-60	373225.00

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) रोज-2 अन्तर्गत जोस एवं लस्ल के उचित प्रबन्धन हेतु विभिन्न तकनीकी विकल्पों की मार्ग-दर्शिका में इस्टीमेट का विकल्पवार दर निर्धारित किया गया है। उपरोक्त कार्य को करने के लिए परन्तु मार्ग-दर्शिका के डिजाइन व स्टीपेट के अनुसार उसे पुनित कार्ट मानते हुए कार्य किया जाएगा इसके लिए अलग से स्टीमेट व डिजाइन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार वर्णित कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यपुति रिपोर्ट प्राप्त कर भुगतान किया जा सकेगा।

तदनुसार कार्य को क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-वर्धीया।

मनदीप  
Manoj  
(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदेव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलमयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. रामस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मार्ट फाइल।

आज्ञा से,  
Manoj  
(मनोज कुमार सिंह) 29.6.22  
अपर मुख्य सचिव।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-5/1351/2022-5/35/2022

लखनऊ

दिनांक: 21 नवम्बर, 2022

विषय-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनातर्गत वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 16.11.2022 को बरेली मण्डल का प्रमण SBM टीम द्वारा अधीनस्थायी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ODF प्लस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

कार्यक्रम के दौरान इण्डियन वेटनरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (आई0वी0आर0आई0), बरेली द्वारा निर्मित वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट्स का प्रमण एवं विशेषज्ञों के साथ निर्माण विधि के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। आई0वी0आर0आई0, बरेली के विशेषज्ञों के अनुसार वर्मी कम्पोस्टिंग बेड्स की लंबाई अधिकतम 18 इंच (ईट के 04 से 05 रद्दे तक) ही होनी चाहिये अन्यथा बेड्स की मृत्यु होने की संभावना रहती है। कम्पोस्टिंग बेड के बेस (फर्श) को पक्का न बनाकर कच्ची पी0सी0री0ईट (किटाकर) की जानी चाहिये, साइड वॉलस की मोटाई 4.5 इंच की होनी चाहिये। वर्मी कम्पोस्टिंग बेड्स को एक साथ न जोड़कर अलग-अलग निर्मित किया जाना चाहिये, जिससे कि बेड के अन्दर बायोमास व नोयुओं को समुचित प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके तथा खद बनने के उपरान्त उसे आसानी से बिना बेड के अन्दर घुसे ही आसानी से घासे ओर फूमकर निकाला जा सके।

उपरोक्त से दृष्टिगत पूर्व में नेजी गई वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट की ड्राइंग व स्थान पर नवीन मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसके लेआउट को जनपदों द्वारा पान पंचायतों में स्थल की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति के अनुसार संशोधित कराया जा सकता है।

उपरोक्त वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट की मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट को सैड के साथ दर्शाया गया है, जिसके अनुसार इसकी कोस्ट लगभग ₹0 57,600/- है। यदि इन वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट का निर्माण आर0आर0सी0 के शेड अथवा किसी छायादार वृक्ष के नीचे कराया जा रहा हो तो उपलब्ध कराये जा रहे डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट में दर्शाये गये शेड निर्मित कराने की आवश्यकता नहीं है। शेड निर्माण न कराये जाने की स्थिति में संलग्न एस्टीमेट के मेजरमेंट के बिन्दु संख्या-1, 2, 5 व 6 में पिलर फाउन्डेशन/पिलर्स एक बिन्दु संख्या-7 व 8 को हटा दिया जायेगा। तदनुसार वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट की बिल ऑफ़ अकाउंटिटी भी भी संशोधित होकर ₹0 17,567/- होगी।

सात: उपरोक्तानुसार बनी कम्पोस्टिंग युनिट के मॉडल डिजाइन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर लोक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भदोरीप  
(अनुज कुमार झा)  
मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ०प्र०।

संख्या व दिनांक तद्वै

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीशज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (प०), उ०प्र०।

मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ०प्र०।

आप उपरोक्तानुसार अपनी कम्पोजिटिंग यूनिट को मॉडल डिजाइन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ठीक से निर्मित/परम्पत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीरज विभाग, उ०प्र० कारसन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पी०), उ०प्र०।

मिशन निदेशक,


स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

1:10

Persepolis Inc.  
General Architectural  
Establishment

VERMICULITE  
TECHNIQUE

Scale  
1:10



CROSS-SECTION A-A

PLAN

*[Handwritten signature]*

1:10

*[Handwritten signature]*

**Measurement of Various Components**

S.No.	Item of Work	Qty	Measurement			Quantity	Unit	
			L	B	D/H			
1	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam, Clay or Sand) including lift upto 1.50 m and less upto 10 m and including filling, watering and ramming of excavated earth into trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the pits and removal and disposal of surplus earth as directed by Engineer to a large open distance of 20m from the foundation trenches as per Ref 2, I.I.D.M.						cum	
		L/W	8	2.00	0.15	0.15		0.0708
		L/W	8	0.925	0.15	0.15		0.0647
		pillar foundation	4	0.45	0.45	0.45		0.09125
						<b>0.22675</b>		
2	Providing and laying Cement Concrete in 1:2:6 (1 Cement : 2 coarse sand : 6 graded stone aggregate) floor, internal wall and ceiling, including cost of form work, in foundation as per Ref 4, I.I.D.M.						cum	
		L/W	8	2.00	0.15	0.15		0.2708
		S/W	8	0.015	0.15	0.15		0.1647
		pillar foundation	4	0.45	0.45	0.15		0.030375
						<b>0.465525</b>		
3	Class 150 (non modular) brick work in 1:4:8 cement and coarse sand mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labor and T&P etc. required the proper completion of the work as per Ref 6, I.I.D.M.						cum	
		L/W	8	2.00	0.15	0.40		0.071792
		S/W	8	0.925	0.15	0.40		0.067228
						<b>1.09902</b>		
4	Brick on edge flooring with bricks of class 150 on a bed of 12 mm tannan mortar, including filling the joints with same mortar, with concrete base of clay non modular bricks 1:4:8 cement, 6 coarse sand						cum	
		L	4	1.80	0.90			6.6078

### MEASUREMENT OF WORK CONTINUED

S/n	Name of Work	Nos	Measurement			Quantity	Unit
			L	B	DN		
5	12mm Thick plaster with cement mortar in proportion of 1:3 remains & fine sand at 1.25 CM of single coat on top of walls and pillars as per Ref 1.1.2 D.M.						sqm
		L/W	8	2.00	0.15	1.600	
		S/W	8	0.015	0.15	0.0012	
		pillars	4	0.06	0.30	0.0024	
					<b>1.6024</b>		
6	Reinforced Cement concrete work in pillars 12.5:3 Ref: 5.2.2 D.M.						cubm
		pillar foundation	4	0.1	0.1	0.01	
			4	0.23	0.23	0.15	
			4	0.23	0.23	1	
					<b>0.175</b>		
7	Providing and fixing standard of approved size by welding etc. including applying priming coat of approved steel primer as per D.M. No. 10.26.1						kg
		100mm dia vertical tube	4	1.2		4.80	
		50mm dia	2	4		8	
			2	1.51		3.02	
			2	5.34		10.68	
		40mm dia pipe	4	5.20		20.80	
					<b>29.30</b>		
8	Providing reinforced by organic fiber and/or inorganic synthetic fibres cement 6mm thick corrugated sheets roofing up to any pitch and fixing with submer coated L or L hooks, bolts and nuts, 6mm dia GI plate and stainless washers or with self drilling fastener and EPDM washers etc. complete including the cost of oil/m, rollers and trusses, including cutting sheets to size and shape whenever required						sqm
			1	6.11	1.94	7.44	

## BILL OF QUANTITY

S.no	Item of Work	Unit	Qty	Rate	Amount
1	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam, Clay or Sand) including 500 gpm 1.50 m and held upto 30 m and including filling watering and turning of excavated earth into trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by Engineer in-Charge upto distance of 30m from the foundation trenches, as per Ref 2.1.1 DAR	cum	0.626025	156	97.7535
2	Providing and laying Cement Concrete in 1:1.5:3 (1 Cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40mm nominal size) and curing complete, including cost of form work, in foundation as per Ref 4.1.10 DAR	cum	0.565875	6554	3708.745
3	Class 150 (Non Modular) brick work in 1:6 Cement and Coarse sand mortar in foundation and plinth including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per Ref 6.1.2 DAR	cum	1.25902	6781	8537.415
4	Brick on edge bonding with bricks of class 150 on a bed of 12 mm cement mortar including filling the joints with same mortar, with common burnt clay non-modular bricks 1:4 (1 cement:4 coarse sand)	sqm	6.6978	750	5023.35

## BILL OF QUANTITY

S.no	Item of Work	Unit	Qty	Rate	Amount
5	12mm. Thick plaster with cement mortar in proportion of 1:6 cement & fine sand of 1:25 F.M of single coat on top of walls as per Ref 3.1.1.2 DAR	sqm	4.0298	150	604.47
6	Reinforced Cement concrete work in pillars 1:1.5:3 Refer 5.2.2 DAR	cum	0.29734	8815	2621.052
7	Providing and fixing hand roll of approved size by welding etc. including applying priming coat of approved steel primer as per DAR No 10.26.1	kg	255.438	113	28854.60
8	Providing reinforced by organic fibres and/or inorganic synthetic fibres cement 6mm thick corrugated sheets roofing up to any pitch and fixing with polymer coated L or L hooks, bolts and nuts 8mm dia or plain and bitumen washers or with self drilling fastener and EPDM washers etc. complete (excluding the cost of purlins, rafters and trusses), including cutting sheets to size and shape wherever required.	sqm	24.4134	332	8105.240
<b>GRAND TOTAL</b>					<b>57622.53</b>

-2524

-2525

-2526

-8105.240

प्रेषक:

मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—5/1004/2022-5/35/2022-सखनऊ दिनांक:08 सितम्बर, 2022  
विषय:—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट  
कलेक्शन हेतु ई-रिक्वा क्विज किने जाने के सम्बन्ध में।

गर्होपय,

कृपया अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत एक्सीक्यूटिव/मैजिस्ट्री टीम द्वारा मिशन निदेशक की अध्यक्षता में मण्डलीय भ्रमण किया जा रहा है। जिसमें एक्सीक्यूटिव/मैजिस्ट्री टीमों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्वा क्विज किने जाना है। अधिकार जनपदों द्वारा उक्त वेस्ट कलेक्शन ई-रिक्वा क्विज का स्पेसिफिकेशन उपलब्ध करायी जाने का अनुरोध किया गया है।

जिसके क्रम में जेम्स गार्डल व इण्डियानागट वेबसाइट पर उपलब्ध 500 किग्रा व 300 किग्रा वगैरह के 02 अलग-अलग डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्वा क्विज की विस्तृत विनिर्देश (Specification) तैयार कर पत्र के साथ संलग्न किने जा रहे हैं। प्रस्तावित स्पेसिफिकेशन के अनुरोध ई-रिक्वा क्विजने गुणवत्ता परक गार्डल, गारपटी/वाल्पटी, सर्पिटाग/मैनेटेन्स आदि की समुचित व्यवस्था हो जो क्रम किने जा सके है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

गदारीय

(अनुषा कुमार झा)  
मिशन निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उप्र।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपर मुख्य सचिव, पंचायतराज विभाग, उप्र। संलग्न।
2. समस्त जिलाधिकारी उप्र।
3. समस्त मुख्य विभागा अधिकारी उप्र।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पो), उप्र।

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उप्र।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत/राज अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

क्रमांक-5/1004/2022-5/35/2022 लखनऊ दिनांक:08 शिवाग्र 2022

विषय-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में और टू और वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत करना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत एसओ/एगजी० टीम द्वारा मिशन निदेशक की अध्यक्षता में मण्डलीय भ्रमण किया जा रहा है। जिसमें ओडी/एगजी० चार्ज की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में और टू और वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा का क्रय किया जाना है। अधिकतर जनपदों द्वारा उक्त वेस्ट कलेक्शन ई-रिक्शा का स्पेसिफिकेशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

जिसके तम में जेम पोर्टल व इण्डियामार्ट वेबसाइट पर उपलब्ध 500 किग्रा० क्षमता एवं 300 किग्रा० क्षमता के 02 अलग-अलग और टू और वेस्ट कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा के विस्तृत विनिर्देश (Specification) तैयार कर पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। प्रस्तावित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ई-रिक्शा जिसमें गुणवत्ता परफॉर्मिंग, गारण्टी/वारण्टी, सर्विसिंग/मैनेटेन्स आदि की सम्पुर्ण व्यवस्था हो को क्रय किया जा सकता है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)  
मिशन निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय सचिव निदेशक (स०), उ०प्र०।।

मिशन निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

## E-Rickshaw For Garbage Collection 500 kg

### Product Specification

Loading Capacity	Upto 500 kg
Usage/ Application	Garbage Collection
Battery Type	Lead Acid / Lithium Ion
Motor Rating	1250 W
Warranty	Chassis & Tyres - 24 months, Motor & Controller - 6 months
No. of Batteries required	4 (Lead Acid) / 1 (Lithium Ion)
Charger	48V 15A
Body Material	Mild Steel
Front Suspension Type	Telescopic Hydraulic Shock Absorbers
Rear Suspension Type	Leaf Springs (3 - Left, 3 - Right)
Front Brakes Type	150 mm dia (Drum Type)
Rear Brakes Type	160 mm dia (Drum Type)
Wheel Base	2160 mm
Country of Origin	Made in India
Max Speed	25 km/hr
Wheel Size	3.75 inch x 12 inch
Motor Type	BLDC Geared
Speedometer	Analog with Trip Meter
Ground Clearance	180 mm
Starting System	Pedal Stop Start Button
No. of seats	3+Seater
Seating Capacity	1
Power Source	Battery Operated
Vehicle Dimensions (L x W x H)	2790 mm x 990 mm x 1730 mm
Container Dimensions	5 ft x 3.25 ft x 3.25 ft
Gross Vehicle Weight	810 kg
KM to drive per charge	60 km/ 80 km/ 100 km/ 120 km (based on battery type and capacity chosen)
Drive Train	Motor & Controller Operated
System Voltage	48V
Controller Rating	48V 50A
Differential Size	33 inch
Body Type	Mild Steel
Roof type	Mild Steel
Front Type	Glass Front
Standard Item	Included
Headlamps	Halogen (1 in no.)
Tail Lights	LED (2 in no.)

Front & Rear Side Indicators	LTD (3 in. 09.1)
Steering Type	Stainless Steel Handgrip
Rear View Side Mirrors	2
Standard features	Side Curtain, Foot Mats, Cabin Light, Hand Holds, Audio/Intercomunit System, Leatherette Seat
Safety features	Horn, Handbrake, Reverse Alarm, Jack, Toolkit, Fire Extinguisher, First Aid Kit
Mechanical Hydraulics	Optional
Electrical Hydraulics	Optional

## **E-Rickshaw For Garbage Collection 300 kg**

### **Product Specification**

Loading Capacity	Upto 300 kg
Usage/ Application	Garbage Collection
Battery Type	Lead Acid / Lithium Ion
Motor Rating	1000 W
No. of batteries required	4 (Lead Acid) / 1 (Lithium Ion)
Charger	48V 15A
Body Material	Mild Steel
Front Suspension Type	Telescopic Hydraulic Shock Absorbers
Rear Suspension Type	Leaf Springs (5- Left, 5- Right)
Front Brake Type	130 mm dia (Drum Type)
Rear Brake Type	160 mm dia (Drum Type)
Wheel Base	2160 mm
Country of Origin	Made in India
Ground clearance	180 mm
Max speed	25 km/hr
Motor type	BLDC Geared
Speedometer	Analog with Trip Meter
Starting system	Push Stop Start Button
Wheel size	3.75 inch x 12 inch
Loading Capacity	300 kg
No. of wheels	3 + motor
Seating Capacity	1
Vehicle Dimensions (L x W x H)	2290 mm x 990 mm x 1730 mm
Container Dimensions (L x W x H)	5 ft x 3.25 ft x 3.25 ft

Container Type	1 - Dry Waste, 1 - Wet Waste
Gross Vehicle Weight	810 kg
KMs driven per charge	60 km/ 80 km/ 100 km/ 120 km (basis battery type and capacity chosen)
Drive Train	Motor & Controller Operated
System Voltage	48V
Controller Rating	48V 50A
Differential Size	53 inch
Body Type	Mild Steel
Roof Type	Mild Steel
Front Type	Glass Front
Tyre Brand	TVS / CEAT / Balco
Standard Rims	Included
Headlamps	Halogen (1 in. no.)
Tail Lights	LED (2 in no.s)
Front & Rear Side Indicators	LED (8 in no.s)
Steering Type	Stainless Steel Handlebar
Rear View Side Mirrors	2
Standard Features	Side Curtains, Foot Mats, Hand Holds, Audio/Entertainment System, Latharette Seats
Optional Accessories	Fog Light, Rain Wiper, GPS, Reverse Camera with LED Screen
Safety features	Horn, Handbrake, Reverse Alarm, Jack, Toolkit, Fire Extinguisher, First Aid Kit
Mechanical Hydraulics	Optional
Electrical Hydraulics	Optional



*Shri Pratik*



*Autobus*

प्रेषक:

मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),  
उत्तर प्रदेश।

शेष में

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या-5/231/2022-5/35/2022 लखनऊ दिनांक: 2 अगस्त, 2022  
विषय-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत सिल्ट कैंपर व फिल्टर चेम्बर के  
मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

माहिदम,

सुवर्ण अग्रगत कारणों हैं कि दिनांक 20 व 21.08.2022 को इसी मॉडल का समूह  
DBM टीम द्वारा जांच/हस्ताक्षरी की आवश्यकता में किया गया। जिसमें DBM प्लस के कार्य की  
प्रगति की जांच की गई, सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों से चर्चा की गई, साथ ही क्षेत्र प्रमण  
भी किया गया।

प्रमण के दौरान डकोर ग्राम पंचायत, जालौन में सिल्ट कैंपर/फिल्टर चेम्बर की लगाई  
गई तकनीक सतत थी, इस सम्बंध में पूर्व में भेजी गई ड्राइंग के अतिरिक्त नवीन मॉडल  
डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसे जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थल  
की उपलब्धता भौगोलिक स्थिति एवं बड़े/छोटे ड्रेनेज की आवश्यकता के अनुसार संशोधित  
करना जा सकता है।

अब उपरोक्तानुसार सिल्ट कैंपर एवं फिल्टर चेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व  
एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से निर्मित/संभल करने के आशय  
से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

महामात्र,

(अनूप कुमार झा)  
मिशन-निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उत्तरप्रदेश।

शुद्धता व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीसज विभाग, उत्तरप्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरप्रदेश।
4. समस्त माहस्तीय उप निदेशक (पं), उत्तरप्रदेश।

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उत्तरप्रदेश।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-5/931/2022-5/ /20 सखनऊ दिनांक 5 अगस्त, 2022  
विषय-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत सिल्ट कैंचर व फिल्टर वेम्बर के  
मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जागरण कराया है कि दिनांक 20 व 21.08.2022 को प्रांतीय सचिवालय का प्रमाण  
ग्राम टीम द्वारा माहौलस्वास्थ्य की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ODF प्लस के कार्यों की  
प्रगति की समीक्षा की गई, सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों से चर्चा की गई, साथ ही क्षेत्र प्रमाण  
भी किया गया।

समय के दौरान दफ्तर ग्राम पंचायत, जालौन में सिल्ट कैंचर/फिल्टर वेम्बर की समीक्षा  
हई तकनीकी पत्रों की, इस सम्बन्ध में पूर्व से भेजी गई ड्राइंग के अतिरिक्त गवीन मॉडल  
डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसे जसंपर्कों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थल  
की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति एवं बड़े/छोटे ड्रेनेज की आवश्यकता के अनुसार संशोधित  
काया जा सकता है।

आगे उपरोक्तानुसार सिल्ट कैंचर एवं फिल्टर वेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व  
एस्टीमेट पत्र के साथ सलग्न कर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से निर्मित/संरक्षित करने के आयोजन  
में उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

माहदीय

(अनुज कुमार झा)  
मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उत्तरप्रदेश।



संख्या व दिनांक सहित

प्रतिक्रिया- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जल संचयन सचिव, पंचायतौराज मिशन, उत्तरप्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरप्रदेश।
4. समस्त माहौलस्वास्थ्य एवं निदेशक (पी), उत्तरप्रदेश।

मिशन निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उत्तरप्रदेश।



Project Name: \_\_\_\_\_

Client: \_\_\_\_\_

Scale: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Drawn by: \_\_\_\_\_

Checked by: \_\_\_\_\_

Approved by: \_\_\_\_\_

*Handwritten notes in blue ink:*  
 0.45m  
 0.1m  
 0.1m  
 0.1m

*Handwritten signature:* K

**Detail of measurement**

**Work Name :- Construction of Silt Chamber**

SNO	ITEM	Qty	L	W	H	QTY	UNIT
1	Excavation in foundation about 100mm 1/2 of the complete work						
		1	1.00	1.50	1.00	1.50	cum
						Total =	1.50
2	1:1:2 cement, sand & 20mm (ballot) mortar 1/2 of the complete work						
		1	1.00	1.50	0.20	0.34	cum
						Total =	0.34
3	M20 concrete 1:1.5:3 cement & gravel mortar 1/2 of the complete work						
		1	1.00	0.21	1.00	0.21	cum
		2	1.00	0.21	1.00	0.70	cum
		1	1.00	0.21	1.00	0.14	cum
		1	1.00	0.21	0.80	0.16	cum
						Total =	1.11
	Reinforcement	1	0.40	0.20	0.80	0.10	cum
		1	0.40	0.21	0.80	0.05	cum
						Total =	0.15
4	M20 concrete 1:1.5:3 cement & sand mortar 1/2 of the complete work						
		2	1.00		1.00	0.00	cum
		1	1.00		1.00	0.17	cum
		4	1.00		0.21	0.21	cum
		4	1.00		0.20	0.40	cum
						Total =	0.78
	Reinforcement	1	0.40		0.80	0.17	cum
		1	0.40		0.20	0.10	cum
						Total =	0.27
5	1:1.5:3 cement, sand and 20mm (ballot) mortar 1/2 of the complete work						
		1	1.00	1.00	0.10	0.40	cum
						Total =	0.40
6	M20 concrete 1:1.5:3 of the complete work	1	0.40	0.80	1.00	0.40	cum
7	1:1.5:3 concrete	1				0.80	cum
8	Provision for float grade	1				1	cum

*[Handwritten signature]*

6/5  
**DATE REC'D**  
**BY METER NO**  
**WORKING NO**

*[Handwritten signature]*  
**ASHWIN K. SOTIA**  
**(DRY LAB. ENGINEER)**

**Consumption of material**

Work Name: Construction of VIT Chamber

Sl. No.	Particulars	Qty	Contract	CPWD	Material Rate	AMT. @ 10% S/W	20% S/W	RTD
1	1000 kg cement (10000 kg) for concrete work of 10000 kg	0.12	9.77	0.04	1435.20			
2	1000 kg sand (10000 kg) for concrete work of 10000 kg	0.22	1.76	0.34				
3	1000 kg coarse sand (10000 kg) for concrete work of 10000 kg	0.34	0.77			0.34		0.14
4	1000 kg 10mm coarse sand (10000 kg) for concrete work of 10000 kg	0.46	1.00	0.30			0.46	
	<b>Total =</b>	<b>11.32</b>	<b>1.29</b>	<b>1435.20</b>	<b>0.34</b>	<b>0.41</b>	<b>0.16</b>	
	<b>Say =</b>	<b>11.00</b>	<b>1.20</b>	<b>1435.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.40</b>	<b>0.20</b>	
		<b>Qty</b>	<b>Cont</b>	<b>Rate</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>RTD</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 PREPARED BY  
 M. SURESH K.  
 DATE: 10/10/2023

*[Handwritten signature]*  
 APPROVED BY  
 (M. SURESH K.)

**Bill of quantity**

**Work Name :-Construction of Silt Chamber**  
(Material cost)

S.No	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	1/4 cement	11.00	Bag	364.90	4013.90
2	1/4 C/sand	1.30	cum	2349.90	3054.87
3	1/4 M150 class brick	1415	1000	7.21	10203.45
4	1/4 40mm S/Barbed	0.30	cum	1219.00	365.70
5	1/4 20mm S/Barbed	0.00	cum	2753.90	0.00
6	1/4 M/S Iron Bar	0.42	kg	2689.00	1121.38
7	1/4 1/2" sand	0.20	cum	1756.90	351.38
8	1/4 10mm S/s	1.00	sqm	1.5	1.50
9	Printer for photograph	1	no.	800.00	800.00
				<b>Total :-</b>	<b>22770.07</b>

(Labour cost)

S.No	Name of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	1/4 excavation foundation by (1/2) (1/2) to the complete work (excavate)	7.20	cum	155.00	1116.00
2	1/4 1:1:2 cement, s/sand & 40mm S/Barbed mortar (1/2) of the complete work	0.34	cum	1150.00	391.00
3	M150 class brick 1/4 cement & sand mortar (1/2) of the complete work (foundation)	5.12	cum	400.00	2048.00
4	1/4 10mm S/s. Mortar is 1/4 cement & s/sand mortar (1/2) of the complete work (1/2) (1/2)	16.22	sqm	94.00	1524.68
5	1/4 1:1:2 cement, s/sand and 20mm S/Barbed mortar (1/2) of the complete work	0.49	cum	2160.00	1058.40
6	M/S Iron Plate Work (1/2) of the complete work	0.42	kg	1800.00	756.00
				<b>Total :-</b>	<b>7427.08</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 10/10/2020  
 10/10/2020  
 10/10/2020

*[Handwritten signature]*  
 10/10/2020  
 (may be any day)  
 10/10/2020

### SUMMARY OF COST

Work Name :- Construction of Silt Chamber

S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	7477.48
2	Material Cost	22770.07
	Total =	30247.55
	Say =	0.30 Lakh

  
  
अधिकारी व डेटा  
(only dry prepared)



**Detail of measurement**

**Work Name - Construction of Filter Chamber**

Sl. No.	Item	No.	L	W	H	QTY	UNIT
1	1:6 concrete for foundation of filter chamber (at all the corners) work						
	Filter Chamber	1	3.00	1.50	1.00	0.22	cum
						<b>Total =</b>	<b>0.22</b>
2	1:4:2 cement, sand & 20mm cherted mortar (at all the corners) work						
	Filter Chamber	1	3.00	1.50	0.10	0.06	cum
						<b>Total =</b>	<b>0.06</b>
3	1:4:2 cement, sand and 20mm cherted mortar (at all the corners) work						
		1	3.00	1.50	0.10	0.06	cum
						<b>Total =</b>	<b>0.06</b>
4	M20 concrete (1:1.5 cement & sand mortar) (at all the corners) work						
		1	3.00	1.50	1.75	1.52	cum
		2	3.00	1.50	1.00	0.80	cum
		3	3.00	1.50	1.00	0.80	cum
		4	3.00	1.50	1.00	0.80	cum
						<b>Total =</b>	<b>3.72</b>
	Attraction	1	0.45	0.22	2.00	0.16	cum
		1	0.40	0.20	1.50	0.10	cum
						<b>Total =</b>	<b>3.98</b>
5	1:4:2 cement (1:1.5 cement & sand mortar) (at all the corners) work						
		1	3.00		1.75	1.52	cum
		2	3.00		1.00	0.80	cum
		3	3.00		1.00	0.80	cum
		4	3.00		1.00	0.80	cum
						<b>Total =</b>	<b>14.72</b>
	Attraction	1	0.40		2.00	0.10	cum
		1	0.40		1.50	0.10	cum
						<b>Total =</b>	<b>14.82</b>
6	1:4:2 cement (1:1.5 cement & sand mortar) (at all the corners) work						
		1	3.00	1.50	0.10	0.06	cum
		1	3.00	1.50	0.10	0.06	cum
						<b>Total =</b>	<b>0.12</b>
7	1:4:2 cement (1:1.5 cement & sand mortar) (at all the corners) work						
		1	1.40	0.20	1.20	0.40	cum
8	1:4:2 cement (1:1.5 cement & sand mortar) (at all the corners) work						
		1	1.00	1.00		1.00	cum
9	1:4:2 cement (1:1.5 cement & sand mortar) (at all the corners) work						
		1	1.34	1.34	0.40	0.30	cum
10	1:4:2 cement (1:1.5 cement & sand mortar) (at all the corners) work						
		1	1.34	1.34	0.20	0.40	cum
11	1:4:2 cement (1:1.5 cement & sand mortar) (at all the corners) work						
		1	1.34	1.34	0.20	0.40	cum
12	1:4:2 cement (1:1.5 cement & sand mortar) (at all the corners) work						
		1	1.34	1.34	0.20	0.40	cum

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 (1:1.5 cement & sand mortar)  
 (1:1.5 cement & sand mortar)  
 (1:1.5 cement & sand mortar)

*[Handwritten signature]*  
 (1:1.5 cement & sand mortar)  
 (1:1.5 cement & sand mortar)

Consumption of material

Work Name - Construction of Filter Chamber

S.No	Item	Qty	Consum	QTY used	MRB 0104	40 mm dia	20 mm dia	QTY used	Price Rate
1	20mm dia concrete filter pipe 200mm dia filter chamber	1.66	0.77	0.90	1001.00				
2	20mm dia concrete filter pipe 200mm dia filter chamber	14.37	1.38	1.37					
3	20mm dia concrete filter pipe 200mm dia filter chamber	0.45	1.21			0.45		0.22	
4	20mm dia concrete filter pipe 200mm dia filter chamber	7.65	4.33	0.29			0.29		
5	20mm dia concrete filter pipe 200mm dia filter chamber	1.23	1.35	0.10			0.10		
6	20mm dia filter pipe	0.42				0.42			
7	20mm dia filter pipe	1.42		0.41					
8	20mm dia filter pipe	1.83							0.61
		Total =	15.23	2.01	1001.00	0.87	0.79	0.22	0.61
		Say =	15.00	2.00	1000.00	0.90	0.80	0.20	0.60
				Bag	cum	No.	cum	cum	cum

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 17/04/2019  
 10:00 AM  
 10/10/2019 10:00 AM

*[Handwritten signature]*  
 10/10/2019  
 (only day present)

## Bill of quantity

### (Material cost)

S.No.	Name of Item	Qty	UNIT	Rate	Amount
1	1/2" cement	13.00	Bag	364.00	4732.00
2	1/2" Cement	2.00	cum	2049.00	4098.00
3	1/2" M350 (red) Brick	1000	1000	7.31	12100.00
4	1/2" 40mm M/Ballast	0.90	cum	1719.00	1547.10
5	1/2" 30mm M/	0.40	cum	1100.00	440.00
6	1/2" 20mm M/Ballast	0.02	cum	2754.00	222.12
7	1/2" M/s number	0.61	qr	2434.00	4284.74
8	1/2" 1/2" sand	0.20	cum	1700.00	340.00
9	1/2" 1/2" coarse sand	1.87	cum	17.00	31.79
10	Provision for photographs	1	lot	800.00	800.00
				<b>Total =</b>	<b>30945.67</b>

### (Labour cost)

S.No.	Name of Item	Qty	UNIT	Rate	Amount
1	1/2" excavator foundation is 2' x 2' x 2' to the complete work (finishing)	0.11	hour	105.00	115.15
2	CC in 1:1:2 cement, sand & 40mm M/Ballast mortar 1/2" of the complete work	0.45	cum	1190.00	535.50
3	M150 class 1/2" 1:1 cement & 1/2" sand mortar 1/2" of the complete work (foundation)	1.46	cum	880.00	1284.80
4	12mm brick Plaster in 1:4 cement & 1/2" sand mortar 1/2" of the complete work (finishing)	14.87	cum	94.00	1397.78
5	M150 1:2:4 cement, sand and 20mm M/Ballast mortar 1/2" of the complete work	0.45	cum	2100.00	945.00
6	M75 non Flow, form 1/2" of the complete work	0.61	qr	1810.00	1104.10
7	CC in 1:2:4 cement, sand and 20mm M/Ballast mortar 1/2" of the complete work	0.21	cum	1550.00	325.50
				<b>Total =</b>	<b>9214.03</b>

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*  
 15/04/2021  
 10:00 AM  
 10/10/2021

*[Handwritten signature]*  
 RAHMAN M. DINA  
 (only my Payment)

### SUMMARY OF COST

Work Name :-Construction of Filter Chamber

S.No.	Item	Amount
1	Labour Cost	9214.03
2	Material Cost	30945.87
	Total =	40159.90
	Say =	0.40 Lakh



RESIDENCE DUTY  
(only 0.05% on 100000)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्वक्ष,  
जिला न्यायशाखा समिति, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2021

विषय: सौ दिवसीय "स्थायित्व एवं सुजलम अभियान" (Sustainability of ODF gains and achieving million soakpits) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

समर्पण विषय के सम्बन्ध में अद्यतन कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम) फेज-II के प्रथम चरण में खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने एवं ओडीएफ स्तर प्राप्त करने के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय को व्यापक स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। लोगों को नियमित स्वच्छता एवं साफ सफाई का व्यवहार बनाये रखने के लिये ओडीएफ स्तर के स्थायित्व एवं स्वच्छता व्यवहारों को बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है।

2- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II में सुरक्षित गै-वाटर प्रवन्धन हेतु समुदाय स्तरीय सोखा गड्ढे बनाये जाने पर जोर दिया गया है। समुदायिक सोखा गड्ढे गै-वाटर प्रवन्धन हेतु समस्त प्रदेशों में प्रभावी पादे गये हैं।

3- ऐयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एस.11018/1/2021-एस.बी.एम.-5-डी.डी.डब्ल्यू.एस.-पार्ट-(1) दिनांक 23.08.2021 द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2021 से एक सौ दिवसीय "स्थायित्व एवं सुजलम अभियान" प्रारम्भ किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। तत्काल अभियान के अन्तर्गत गांव में ओडीएफ के स्थायित्व हेतु लोगों को जागरूक करते हुए उनकी सहभागिता से गै-वाटर प्रवन्धन हेतु गृह स्तर पर समुदायिक सोखा गड्ढों का निर्माण कराया जाना है। अभियान के दौरान निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय:-

- (1) अभियान के दौरान लक्षित 9.56 लाख परिवारों में व्यक्तिगत सौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया जाय। इस कार्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की अनुराधि का उपयोग किया जाएगा।
- (2) प्रति राजस्व गांव कम से कम 5 सामुदायिक सोखा गड्ढों का निर्माण पूर्ण कराये। यह कार्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की अनुराधि से किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक राजस्व गांव में 10 व्यक्तिगत सोखा गड्ढे का निर्माण कराया जाएगा। यह कार्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराया जाए।

(4) सभी निर्मित करवये जा रहे कार्यों की प्रिंटेड ऐगिंग पेजजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा निर्मित SBM 2.0 IMIS App के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जाये।

सुलभ संदर्भ हेतु सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सौख्या गढ़ों की डिजाइन व स्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- सामुदायिक व घरेलू सौख्या गढ़ों का मॉडल स्टीमेट एवं डिजाइन।

भवदीय  
Manoj  
(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव  
16.8.21

संख्या व दिनांक:- तद्वै।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेजजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (पीओ), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलतीय उप निदेशक (पीओ), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनाय।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

No.S-11018/1/2021-SBM-V-DDWS-Part(1)  
Government of India  
Ministry Jal Shakti  
Department of Drinking Water & Sanitation  
Swachh Bharat Mission (Gramin)

4<sup>th</sup> Floor, Pt. Deendayal Aniyodaya Bhawan,  
CGO Complex, Lodhi Road,  
New Delhi - 110 003  
Dated, the 23<sup>rd</sup> August, 2021

To:

Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary  
In-charge of rural Sanitation  
All States/UTs

Subject: Implementing 100 days Campaign - "Sustainability of ODF gains and achieving million soakpits" (स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अभियान) -reg

Madam/Sir,

You are aware that elimination of open defecation and achievement of Open Defecation free (ODF) status for the villages in the first Phase of Swachh Bharat Mission (Gramin) has resulted in noticeable health and economic benefits for rural population. It is critical that the ODF status is sustained and improved behaviors around defecation practice is reinforced to ensure that people continue to realize sustainable health and hygiene benefits.

2. Swachh Bharat Mission (Gramin) Phase-2 emphasizes on creating community level soak pits to ensure safe disposal of greywater in rural areas. Soak pits especially have been found to be very effective across States in managing greywater in a decentralized way.

3. Department of Drinking Water and Sanitation is initiating a 100 days campaign starting 25<sup>th</sup> August 2021 to reenergize efforts at the local level and mobilize people for collective action on achieving sustainability of ODF outcomes and achieve construction of a million soak pits for management of grey water in rural areas across the States. The following needs to be undertaken to achieve the intended objectives of the campaign:

- i. A launch at the State level involving Hon'ble Chief Minister and Minister In charge of Sanitation
- ii. Develop ambitious and measurable targets for the campaign
- iii. Directive be issued to all the Districts to kick start the 100 days campaign covering all villages in the District
- iv. District level Orientation of Gram Panchayats to mobilise them initiate action in villages
- v. Developing local JEC materials to inform, engage and mobilise communities for collective action on sustainability

- vi. Ensuring participation of Public Representatives in the campaign
- vii. Set up monitoring and support arrangements for the campaign
- viii. Field visits/ night stays by District level Officials during the campaign

4. The key activities that need to happen in the villages include

- a) Organizing Community consultations, Khull Bachaks and Gram Sabha meetings to analyze the current situation
- b) Pass resolution to maintain ODF sustainability and achieve needed number of soak pits to manage the grey water
- c) Develop a 100 days plan to undertake sustainability and soak pit construction related activities
- d) Construct requisite number of soakpits
- e) Retrofit toilets where needed through IEC and community mobilization and
- f) Ensure all newly emerging Households in the village have access to toilets

5. Swachh Bharat Mission (Grameen) funds could be used for interventions to be undertaken related to ODF sustainability and for construction of soak pits in the villages as per guidelines. Also, to meet any shortfall in funds requirements, XV FC grants and MGNREGS can be used.

6. You are requested to kindly plan for implementation of this campaign. A copy of the plan may also be shared with this Department. DDWS Officials are available for any support that you may like on planning and implementation of the campaign.

7. I am confident that you would provide personal leadership to this very important campaign.

Yours sincerely,



(Arun Baroka)

Additional Secretary to the Government of India

Phone: 011 24382192

E-mail: arun.baroka@nic.in

Copy to: Mission Director/State Coordinator, SBM (G), All States/UTs

(4) सभी निर्मित कराये जा रहे कार्य की जिम्मे डेटिंग पेजयल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित SBM 2.0 IMIS App के माध्यम से अनिवार्य रूप से की जावे।

सुलग्न संदर्भ हेतु सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सोखा गहड़ों की डिजाइन व स्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- सामुदायिक व घरेलू सोखा गहड़े का मॉडल स्टीमेट एवं डिजाइन।

भाषदीय

(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदर्थ।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेजयल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय रूप निदेशक (ग्राम), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
7. गाई फाइल।

जाड़ा से  
Handwritten signature  
(मनोज कुमार सिंह) 26.8.21  
अपर मुख्य सचिव।  
3

No.S-11018/1/2021-SBM-V-DDWS-Part(1)  
Government of India  
Ministry Jal Shakti  
Department of Drinking Water & Sanitation  
Swachh Bharat Mission (Grameen)

4<sup>th</sup> Floor, Pt. DeenDayal Antyodaya Bhawan,  
CGO Complex, Lodhi Road,  
New Delhi – 110 003  
Dated, the 23<sup>rd</sup> August, 2021

To,

Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary  
In-charge of rural Sanitation  
All States/UTs

Subject: Implementing 100 days Campaign – "Sustainability of ODF gains and achieving million soakpits" (एकसित्ता एवम सुजनाम अभियान) –reg

Madam/Sir,

You are aware that elimination of open defecation and achievement of Open Defecation free (ODF) status for the villages in the first Phase of Swachh Bharat Mission (Grameen) has resulted in noticeable health and economic benefits for rural population. It is critical that the ODF status is sustained and improved behaviors around defecation practice is reinforced to ensure that people continue to realize sustainable health and hygiene benefits.

2. Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-2 emphasizes on creating community level soak pits to ensure safe disposal of greywater in rural areas. Soak pits especially have been found to be very effective across States in managing graywater in a decentralized way.

3. Department of Drinking Water and Sanitation is initiating a 100 days campaign starting 25<sup>th</sup> August 2021 to reenergize efforts at the local level and mobilize people for collective action on achieving sustainability of ODF outcomes and achieve construction of a million soak pits for management of grey water in rural areas across the States. The following needs to be undertaken to achieve the intended objectives of the campaign.

- i. A launch at the State level involving Hon'ble Chief Minister and Minister In charge of Sanitation
- ii. Develop ambitious and measurable targets for the campaign
- iii. Directive be issued to all the Districts to kick start the 100 days campaign covering all villages in the District
- iv. District level Orientation of Gram Panchayats to mobilise them initiate action in villages
- v. Developing local IEC materials to inform, engage and mobilise communities for collective action on sustainability.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- vi. Ensuring participation of Public Representatives in the campaign
- vii. Set up monitoring and support arrangements for the campaign
- viii. Field visits/ night stays by District level Officials during the campaign.

4. The key activities that need to happen in the villages include:

- a) Organizing Community consultations, *Khuli Bathaks* and Gram Sabha meetings to analyze the current situation
- b) Pass resolution to maintain ODF sustainability and achieve needed number of soak pits to manage the grey water
- c) Develop a 100 days plan to undertake sustainability and soak pit construction related activities
- d) Construct requisite number of soakpits
- e) Retrofit toilets where needed through IEC and community mobilization and
- f) Ensure all newly emerging Households in the village have access to toilets

5. Swachh Bharat Mission (Grameen) funds could be used for interventions to be undertaken related to ODF sustainability and for construction of soak pits in the villages as per guidelines. Also, to meet any shortfall in funds requirements, XV FC grants and MGNREGS can be used.

6. You are requested to kindly plan for implementation of this campaign. A copy of the plan may also be shared with this Department. GDWS Officials are available for any support that you may like on planning and implementation of the campaign.

7. I am confident that you would provide personal leadership to this very important campaign.

Yours sincerely,



(Arun Baroka)

Additional Secretary to the Government of India

Phone: 011-24382182

E-mail: arun.baroka@nic.in

Copy to: Mission Director/State Coordinator, SBM (G), All States/UTs





# MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

## SUMMARY OF COST

S.No.	Item of work	Unit	Amount
1	As per Bill of quantity Labour Cost	Rs.	2934.17
2	As per Bill of Quantity Material Cost	Rs.	8710.64
3	Sub Total	Rs.	11644.81
4	Total	Rs.	11645
	Say		11.7 Thousands

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



**MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT**

District: Muzaffargarh, Tehsil: Muzaffargarh

**MILKIAH DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCIKAWA TOWN DEPT. GOVT. OF UP**

Language of Estimate

Sl. No.	Item of work	Qty.	Rate	Amount (Rs)														
1	Filling of concrete chamber with size 24" x 24" x 24"	1	140	140	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
2	Filling of concrete chamber with size 24" x 24" x 24"	1	140	140	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
3	Filling of concrete chamber with size 24" x 24" x 24"	1	140	140	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
4	Filling of concrete chamber with size 24" x 24" x 24"	1	140	140	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
5	Work for concrete chamber	1	140	140	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
6	Work for concrete chamber	1	140	140	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
7	Work for concrete chamber	1	140	140	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
8	Work for concrete chamber	1	140	140	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	<b>Total</b>																	

*Handwritten signature*

# MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm-dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (MATERIAL)

S.No.	Item of work	Qty	Rate	Unit	Amount
1	Supply of Cement	3.00	330.00	bag	990.00
2	Supply of local sand	1.00	1000.00	cum	1000.00
3	Supply of coarse sand	0.40	1150.00	cum	460.00
4	Supply of 20-30mm aggregate	1.30	975.00	cum	1137.50
5	Supply of M-150 concrete	108.00	9.00	sq. m	972.00
6	Supply of 75-100mm Stone boulder	2.50	660.00	cum	1625.00
7	Supply of 50-70mm Stone rubble	1.00	650.00	cum	650.00
8	Supply of steel	16.30	70.00	kg	1120.14
9	3/4" of 110 mm dia PVC pipe for all material and labour, T&P etc. (complete)	3	252.00	met	756.00
	<b>Total amount</b>			<b>Rs.</b>	<b>12710.64</b>

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Initials]*

# MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(2500 mm dia and 1800 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYAT RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (LABOUR)


S.No.	Item of work	Qty	Rate	Unit	Amount	
1	ERT in excavation in foundation in ordinary soil by hand up to 30 m and BT up to 1.5 m in wet soil below	5.36	110.00	cum	589.16	
2	Placement of stone boulder with size 100mm to 100mm	2.50	300.00	cum	750.00	
3	Lining of stone boulder with size 10mm to 10mm	1.50	300.00	cum	450.00	
4	Rating of stone boulder with size 20 mm to 80 mm	1.50	300.00	cum	450.00	
5	Rating of sand in top layer	1.50	200.00	cum	300.00	
6	Field work for all diameter	0.23	920.00	sqm	211.60	
7	PCC in 1:2:4 with cement, sand and 20 mm dia grit all complete	0.08	1000.00	cum	80.00	
8	PCC work with proportion of 1:2:4 cement, coarse sand and aggregate	0.23	90.00	sqm	20.70	
9	2mm thick plaster with coarse sand fine sand in 1:2 including labour material & TAP etc.	0.21	60.00	sqm	12.60	
10	Laf of 110 mm dia pipe for all material and labour and of etc complete	1	100.00	unit	100.00	
<b>Total amount</b>					<b>Rs.</b>	<b>2634.17</b>

K. S. Singh


K

# MODEL DESIGN FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAK PIT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION



PLAN FOR HOUSEHOLD GREY WATER UNLINED SOAK PIT



SECTION AT A-A'

Swathi Bharat Mission Gramin, Uttar Pradesh

DATE: 28/05/2024

SCALE: NOT TO SCALE (VTL)

ALL DIMENSIONS ARE IN MM

USED FOR PROJECT

NAME AND DESIGNATION OF THE STUDENT

CLASS: B.TECH

PROJECT TITLE

KEY RESOURCE CENTER  
Department of Civil Engineering, Uttar Pradesh

## MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

### SUMMARY OF COST

S.No.	Item of work	Unit	Amount
1	As per Bill of Quantity Labour Cost	RS.	1055.36
2	As per Bill of Quantity Material Cost	RS.	4108.74
3	Sub Total	RS.	5164.10
4	Total	RS.	5164
	Say		5.2 Thousands

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

# MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER COMMUNITY SOAKAGE PIT

(1000 GPM DISCHARGE TO 1000 GPM DISCHARGE)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHOYATI HOU DEPT., GOVT OF UP

DETAILS OF MEASUREMENT AND ABSTRACT OF COST

Figures in detail are per 1000 GPM (Building) Schedule of rate 2025. Materials have been for which the price are not available market there are considered.

Sl. No.	Item	Qty	Unit	Rate	Amount	Sl. No.	Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Excavation for soakage pit	1	sqm	100	100	1	Excavation for soakage pit	1	sqm	100	100
2	Concrete for soakage pit	1	sqm	100	100	2	Concrete for soakage pit	1	sqm	100	100
3	Brickwork for soakage pit	1	sqm	100	100	3	Brickwork for soakage pit	1	sqm	100	100
4	Plaster for soakage pit	1	sqm	100	100	4	Plaster for soakage pit	1	sqm	100	100
5	Labour for soakage pit	1	sqm	100	100	5	Labour for soakage pit	1	sqm	100	100
6	Material for soakage pit	1	sqm	100	100	6	Material for soakage pit	1	sqm	100	100
7	Transportation for soakage pit	1	sqm	100	100	7	Transportation for soakage pit	1	sqm	100	100
8	Water for soakage pit	1	sqm	100	100	8	Water for soakage pit	1	sqm	100	100
9	Electricity for soakage pit	1	sqm	100	100	9	Electricity for soakage pit	1	sqm	100	100
10	Contingency for soakage pit	1	sqm	100	100	10	Contingency for soakage pit	1	sqm	100	100
11	Profit for soakage pit	1	sqm	100	100	11	Profit for soakage pit	1	sqm	100	100
12	Total for soakage pit	1	sqm	100	100	12	Total for soakage pit	1	sqm	100	100

THE ESTIMATE IS SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE AUTHORITY CONCERNED.

DATE: 10/10/2025

BY: [Signature]

FOR: [Signature]

DESIGNER: [Signature]

CHECKER: [Signature]

APPROVER: [Signature]

SCALE: 1:100

PROJECT NO: 1000

DATE OF ESTIMATE: 10/10/2025

ESTIMATE NO: 1000

ESTIMATE VALUE: 1000

ESTIMATE PERCENTAGE: 1000

ESTIMATE TOTAL: 1000

ESTIMATE NET: 1000

ESTIMATE GROSS: 1000

ESTIMATE NET: 1000

# MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(With m.m. dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTRE, KEY RESOURCE CENTRE, KANCHIYANTHAL DEPT, GOVT OF TN

(in thousands of Rupees)

No.	Name of work	Qty.	Rs	Contract Rate	Rs	Material Quantity	Rs	Labour Quantity	Rs	Contn Share Amt.	Rs	% of Total Contract Value	Rs	Material Quantity	Rs	% of Total Contract Value	Rs	Material Quantity	Rs	Contn Share Amt.	Rs	Material Quantity	Rs	% of Total Contract Value	
1	Filling of 1000 litre bucket with 200 litres of 100mm dia and 1000 mm depth	0.08									1.00	1.28													
2	Filling of 1000 litre bucket with 200 litres of 100mm dia and 1000 mm depth	0.18																							
3	Filling of 1000 litre bucket with 200 litres of 100mm dia and 1000 mm depth	0.12																							
4	Filling of 1000 litre bucket with 200 litres of 100mm dia and 1000 mm depth	0.10																							
5	Work with the substructure	0.03	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00																	
6	7000 litre bucket with cement and steel sand 1:1 is bedding layer material 6.100 c/c	0.01	6.288	0.00	6.288	0.00	0.00	0.00																	
7	1000 litre bucket with cement, coarse sand and 20 mm dia of all concrete	0.03	7.480	0.00	7.480	0.00	0.00	0.00																	
8	Work with the project of 1000 litre bucket, coarse sand and concrete	0.10	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00																	
	<b>Total</b>			1.45	107.63		0.00	0.00		6.27	107.63	100.00	100.00				6.27	107.63	100.00	6.27			6.27	100.00	100.00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

## MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 mm dia and 1000 mm depth)

**INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP**  
**BILL OF QUANTITY (MATERIALS)**

S.No.	Item of work	Qty	Rate	Unit	Amount
1	Supply of Cement	2.00	330.00	bag	660.00
2	Supply of local sand	0.10	1000.00	cum	100.00
3	Supply of coarse sand	0.25	1150.00	cum	287.50
4	Supply of 20-30mm aggregate	0.30	875.00	cum	262.50
5	Supply of M-150 Bricks	108.00	0.00	no.	0.00
6	Supply of 70-100mm Stone boulder	0.40	660.00	cum	264.00
7	Supply of 60-70mm Stone boulder	0.15	660.00	cum	99.00
8	Supply of steel	10.14	70.00	kg	709.80
9	SF of 110 mm dia PVC pipe for all material and T&P etc complete.	2	250.00	mtr	500.00
<b>Total amount</b>					<b>Rs. 4106.74</b>

*[Signature]*

*[Signature]*

# MODEL ESTIMATE FOR GREY WATER HOUSEHOLD SOAKAGE PIT

(1000 liter dia and 1000 mm depth)

INDIAN DEVELOPMENT CENTER, KEY RESOURCE CENTER, PANCHAYATI RAJ DEPT., GOVT OF UP

BILL OF QUANTITY (BQ/BI)

S.No.	Name of work	Qty	Rate	Unit	Amount	
1	Exc in preparation in foundation in ordinary soil to depth up to 30 cm and fill up to 1.0 m in the soil profile	1.24	110.00	cum	136.84	
2	Filling of stone boulder with size 70mm to 100mm	0.40	300.00	cum	120.00	
3	Filling of stone boulder with size 50mm to 70mm	0.16	300.00	cum	48.00	
4	Filling of stone boulder with size 20 mm to 30 mm	0.16	300.00	cum	48.00	
5	Filling of sand in top layer	0.10	250.00	cum	25.00	
6	Brick work for pit chamber	0.25	920.00	cum	230.00	
7	Plaster in 1:4:8 with cement, coarse sand and 20 mm. (both side of) complete	0.08	1000.00	cum	80.00	
8	RCC work with preparation of 1:2:4 cement, coarse sand and aggregate	0.12	80.00	sqm	9.60	
9	20mm thick plaster with cement and fine sand in 1:2 including labour material @ 1.50/sq. etc.	0.61	80.00	sqm	48.80	
10	LIFE OF 110 mm dia pipe upto 60 m in total soil about 1 and 2 etc. complete	1.21	108.00	mt	130.68	
Total amount					Rs.	1098.36

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

प्रेषक,

मनीज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,  
पंचायतीराज,  
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक-07 अक्टूबर, 2021

विषय-15वें वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों को निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्ष 2021-2026 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-15(2)एफ०सी०-एक्स०वी०/एफ०सी०डी०/2020-25, दिनांक-14.07.2021 द्वारा 15वें वित्त आयोग वर्ष 2021-28 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करते हुए उससे व्यय के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश दिए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत बेसिक ग्राण्ट की धनराशि का 60 प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट राइड ग्राण्ट (30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा पाल संचयन, वाटर सिस्टमिंग एवं 30 प्रतिशत ओडीडीएफ० sustainability हेतु) एवं 40 प्रतिशत अनटाइड ग्राण्ट के रूप में अनुमत्त की गई है। तदनुसार में पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-एम०-11015/404/2020-एफ०डी०, दिनांक-23.08.2021 द्वारा अनटाइड ग्राण्ट के व्यय के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देश सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं तथा जल शक्ति मंत्रालय के पत्रांक-इस्यू०-11042/52/2020-जे०जे०एम०-11-डी०डी०एब्ल्यू०एस०, दिनांक-25.08.2021 के द्वारा टाइड ग्राण्ट व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत विस्तरीय पंचायतों को आवंटित धनराशि इन्हीं निर्देशों के तहत किया जाना है।

**2- पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मुला:-**

2.1- पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

2.2 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तर्गत की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य क्रमशः 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा।

2.3 जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बटवारा भी जनपद की ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के क्रम 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जायेगा।

*Manoj*

3- 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाइड एवं अनटाइड ग्रांट के उपभोग हेतु दिशा निर्देश-

(3.1) टाइड ग्रांट के उपभोग हेतु अनुमत्त कार्यों का विवरण-

3.1.1 The tied grant can be used for:

- a.) supply of drinking water , rainwater harvesting and water recycling , and
- b.) Sanitation , maintenance of ODF status , and man agement and treatment of household waste including plastic waste , human excreta , gray water and faecal sludge .

The RLBs shall, as far as possible, earmark one half of the tied grant to each of these two critical services. However, if any RLB is fully saturated the need under one category and does not require funds for that purpose, it can utilize the funds for the other category. For example, if a local body has provided drinking water supply to every house hold in the area of its jurisdiction, it can utilize the funds for sanitation and vice versa. The concerned village assembly/Gram Sabha shall certify this , and it will be duly confirmed by the supervising authority of the Panchayat or the State Government . In case , residents / households within a village/Gram Panchayat/Block do have access to drinking water due to efforts of State/Central Government /various schemes implemented in the past , such Panchayats may utilize the funds on other sub - components like-strengthen ing / augmentation of drinking water sources , provision of drinking water for the livestock , gray water treatment , rain water harvesting , water recycling / rejuvenation of water bodies in addition to maintaining existing water supply infrastructure.

3.1.2 Apart from the households, Gram Panchayats are to ensure the provision of potable water supply and sanitation services in public institutions like schools , , GP buildings , public places like weekly haat / market , mela ground , bus stand , playground / sports complex , etc. Gram Panchayats must focus on greywater treatment , reuse and ensure that untreated greywater is not released in water bodies or rivers.

3.1.3 The 15th Finance Commission has not distinguished between operation & maintenance ( O & M ) and capital expenditure within the categories of tied grant . It is for the RLBs to ensure that funds are first allocated and utilized towards creating infrastructure , usage and management arrangements for drinking water and sanitation services .Over the years RLBs can enter into O & M contracts / arrangements to ensure that benefits of improved drinking water and sanitation are realized on a sustainable basis . RLBs at block and district level, however can allow reverse pooling of funds available with them to District Unit of the State Nodal department to achieve economies of scale and utilize funds for strengthening service delivery ( segregation of water and sanitation activities ) .

3.1.4 However , it is advised that the cost of technical and administrative support should not exceed 10 % of the allocation to the RLBs under tied grant , and the expenditure can be incurred only by the RLB concerned ( GP / Block Panchayat / District Panchayat ) .



3.1.5 The interest accrued in the savings bank accounts of the Panchayats / traditional bodies for the 15th Finance Commission tied grant is a part of the closing balance as on a particular date / year. Therefore, available combined balance, including the interest accrued, constitutes the opening balance for the subsequent year, which need not be transferred back. Funds devolved to any local body are to be utilized as per the guidelines issued on the subject from time to time and it applies to the interest part also.

3.1.6 During the 15th Finance Commission award period, if certain RLBs are converted into Urban Local Bodies (ULBs), for example, Gram Panchayats into Town Panchayats, the converted RLB's unspent funds under the 15th Finance Commission tied grant at the time of such conversion should be returned to the State Government. The amount so collected should be added in the State - level 15th Finance Commission tied grant received by the State in the subsequent financial year and redistributed among the then existing RLBs.

### 3.2 बेसिक (अनटाइड) ग्रांट के उपयोग हेतु अनुमत्त कार्यों का विवरण:-

The FC - XV has recommended 40 % of the allocation as Basic Grants ( Untied ) to Rural Local Bodies ( RLBs ) The items of works / activities that may be taken up with the Basic ( Untied ) Grants include /

Activities relating to the National priority areas of Health, Education and Nutrition in consultation with the respective State Departments /immunization of children /prevention of malnutrition of children /construction and repair of Gram Panchayat Bhawans ; / construction and repair and maintenance of roads within Gram Panchayat ( GP ) / and inter GP ; construction and repair of foot paths within GP and /inter GP ; construction and repair and maintenance of LED street lights and solar lighting as applicable ( solar street light may be individual poles or centralized solar panel system ) - within GP and Inter GP ; / acquisition of land & maintenance and upkeep of dead body burial grounds ;/construction, repair and maintenance of crematorium ;/ providing sufficient and high bandwidth Wi - Fi digital network services within GP ;/ public library;/ recreation facilities including children's park, playground, rural haat, sports & physical fitness equipment etc. and any other basic improved / enhanced service mandated by State Government under relevant State legislations ; / recurring expenditure for electricity, manpower on outsourcing basis and other administrative expenses as essential ( within 10 % limit ) ;/ Immediate relief work in the event of natural disasters / pandemic ; / discharge of responsibilities specifically mandated to Panchayats under various Acts / Laws e.g. preparation and updation of People's Biodiversity Register (PBR) under Biodiversity Act, 2002.

RLBs can enter into Annual Maintenance Contracts Service contracts for providing the services to rural residents. However, expenditure from the Grants on the negative list, namely, expenditure on items already being funded from other schemes,



felicitation cultural functions / decorations / inaugurations , Honorarium , TA / DA of elected representatives and salaries honorarium of existing employees / permanent and contract ; doles / awards , entertainment , purchase of vehicles and air - conditioners are not allowed under this component .

It may also be mentioned that the above items of expenditure are indicative. The Basic ( Untied ) Grants under FC -XV can be utilized by the local bodies for improving basic services in rural areas , except for salaries and other establishment costs . The expenditure required for auditing of accounts by external agencies including social audit approved by the State Government, however, may be borne from this grant.

#### 4- अनटाइड / टाइड ग्रांट हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों की अर्हता-

- 4.1 अनटाइड एवं टाइड ग्रांट हेतु पात्र होने के लिए सम्बन्धित ग्रामीण स्थानीय निकाय को अनिवार्य रूप से पिछले वर्ष के खातों का ऑडिट (प्रोवीजन्सल) और नव वर्ष के पूर्व वर्ष के अभिलेखों का पूर्ण ऑडिट अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा और अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्तों के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।
- 4.2 टाइड ग्रांट हेतु पात्र होने के लिए उस वर्ष की स्वच्छता एवं पेयजल सम्बन्धी वार्षिक एग्रेसनप्लान, जी0पी0डी0पी0/बी0डी0पी0/डी0पी0डी0पी0 डी0डी0डब्ल्यू0एस0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड होने चाहिए।
- 4.3 15वें वित्त आयोग की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वेबसाईट पर अपलोड करना होगा।

#### 5-तकनीकी एवं प्रशासनिक मद

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्तुत बेसिक (अनटाइड) ग्रांट एवं टाइड ग्रांट की धनराशि का 10 प्रतिशत तक तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर खर्च किया जा सकता है। पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-एम0 11015/404/2020-एफ0डी0, दिनांक-23.08.2021 में दिये गये मार्ग-निर्देशों के अनुसार खर्च प्रशासनिक मद की धनराशि द्वारा मंत्रालय के 16वें वित्त आयोग के सम्बन्ध में इंगित किए गए विषयों/मदों पर किया जाएगा। उक्त मदों का विवरण संलग्नक-1 पर है।

इस प्रकार पूर्व से ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग एवं स्वच्छ भारत मिशन (वा0) में कार्यरत आई0टी0 कन्सल्टेंट, लेखाकार, कार्यालय सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्रण्ड प्रेक्क, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि के रूप में लगभग 3852 (संलग्नक-2) कर्तियों द्वारा तकनीकी एवं अन्य प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को दी जा रही सेवाओं को सुगम रूप से संचालित करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली (टाइड व अनटाइड ग्रांट) कुल धनराशि का 1 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तर पर नोडल खाता संख्या-39430719992 आई0एफ0एस0सी0 SBIN0006144 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। प्राप्त धनराशि का आवश्यकतानुसार वितरण राज्य स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर प्रप्त की जा रही सेवाओं के लिए किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक मद की 1 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धी खातों का संचालन निम्नवत् किया जायेगा:-

*Haraj*

क्र०सं०	विवरण	खाते के संचालन हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी
1	जनपद स्तर	मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी
2	मण्डल स्तर	मण्डलीय उपनिदेशक(पी०) एवं कार्यालय सहायक
3	राज्य स्तर	निदेशक पंचायतीराज व नोडल अधिकारी वित्त आयोग

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली 1 प्रतिशत धनराशि एवं वार्षिक कार्यों के सेवाओं की आवश्यकता एवं व्यय का आकलन कर निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० द्वारा वार्षिक व्यय की अनुमति शासन से प्राप्त की जायेगी।

**6- पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना क्रियान्वयन व भुगतान के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश:-**

- 6.1 जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-डब्ल्यू-11042/52 /2020-जे०जे०एन० II-डी०डी०डब्ल्यू०एस०, दिनांक-25.08.2021 में सलमन दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में गठित पेयजल एवं स्वच्छता समिति प्रत्येक पेयजल प्रयोग करने वाले घर से एवं पेयजल शुल्क की वसूली करेगी एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन और पृथक्कीकरण के कार्य के लिए भी मासिक शुल्क वसूल करेगी और इसके लिए दीर्घकालीन परियोजना लागू होने तक 15वें वित्त आयोग की धनराशि पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों पर व्यय की जा सकती है। बचत खाते में प्राप्त होने वाला व्याज तत्कालीन वित्तीय वर्ष के क्लोजिंग बैलेंस का मान माना जायेगा।
- 6.2 प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा पंचवर्षीय वित्तीय एड्रेशन प्लान (वी०ए०पी०) जो 15वें वित्त आयोग के पूरे समय के लिए लागू होगा।
- 6.3 समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के ई-ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी।
- 6.4 समस्त त्रिस्तरीय पंचायतें 15 वित्त आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना एनाकन प्लान अपलोड करेंगी।
- 6.5 तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक-31.07.2015 में प्राविधानित व्यवस्था पूर्वका लागू रहेंगी।
- 6.6 15वें वित्त आयोग की धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-30/2020/1597/33-3-2020-33/2020, दिनांक-29.06.2020, संख्या-34/2020/1817/33-3-2020-33/2020, दिनांक-24.07.2020, संख्या-1017/33-3-2020-11/2020, दिनांक-16.06.2020 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन भी किया जायेगा।
- 6.7 आवंटित धनराशि का व्यय उ०प्र० बजट मैनुअल और पाइनेन्डियल हेण्डबुक के नियमों तथा अन्य निर्गत वित्तीय निर्देशों के अन्तर्गत किया जाए। व्यय करते समय मिलव्यता के सम्बन्ध में वित्त समाधान (केंद्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/आर०जी०-1021/10/2018-मि०१०-1/2017, दिनांक-18.09.2018 का पालन किया जायेगा।

*Handwritten signature*

उक्त के क्रम में शासन की ओर से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया 15वें वित्त आयोग की संशुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाले धनराशि का व्यय उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

  
(मनोज कुमार सिंह) 7.10.21  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- उदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं डिक्रिप्सा व स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
4. आसुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम लखनऊ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।
9. नोडल अधिकारी, उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ०प्र०।
10. नोडल अधिकारी, वित्त आयोग / उपनिदेशक (प०), पंचायतीराज निदेशालय उ०प्र०।
11. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (प०), उ०प्र०।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उ०प्र०।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त सहायक विभागीय अधिकारी (प०) उ०प्र०।
15. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, उ०प्र०।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(गिरिजेश कुमार)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
उ०प्र० लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 10 अगस्त 2021

विषय- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत ओ०डी०एफ० के स्थायित्व एवं ओ०डी०एफ० प्लस की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन हेतु संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत ओ०डी०एफ० के स्थायित्व एवं ओ०डी०एफ० प्लस की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन किया जाना है।

संस्थागत व्यवस्था-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 की समस्त गतिविधियों को सकारण एवं ससमय पूर्ण कराने हेतु राज्य मण्डल, जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नानुसार संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी -

स्टेट सैनिटेशन मिशन - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-1 अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर पूर्व में गठित स्टेट सैनिटेशन मिशन ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 हेतु प्रभावी होगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित समितियां संचालित हैं, वह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 हेतु प्रभावी होगी, जो निम्नानुसार है-

गवर्निंग बाडी (Governing Body)

प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग० मंत्री पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गवर्निंग बाडी संघालित है, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में कार्यक्रम के संचय में सुझाव एवं मार्गदर्शन योग्य समिति एवं कार्यकारी समिति को समय-समय पर देगी। इस समिति के उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन तथा सदस्य सचिव, मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र० है। इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं और यह समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी-

क्र. सं.	पदनाम	संचालन समिति में स्तर
1	ग० मंत्री पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन	उपाध्यक्ष
3	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

क्र. सं.	पदनाम	संचालन समिति में स्तर
4	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	नोडल आफिसर/स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	सदस्य
6	अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	विशेष आमत्री

**शीर्ष समिति (Apex Committee):**

इस समिति को अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज इस समिति को सचिव है और इनमें निम्नलिखित सदस्य हैं। यह समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी :-

क्र. सं.	पदनाम	शीर्ष समिति में स्तर
1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	उपअध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य सचिव
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना, एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वैश्व शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
	स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक जिलाधिकारी एवं एक मुख्य विकास अधिकारी जो वर्तमान समय में अभाव नहीं भी तैनात हो सकते हैं।	सदस्य
14	स्वच्छता क्षेत्र में कार्य कर रही अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	विशेष आमत्री

**कार्यकारी समिति (Executive Committee)**

मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश इस समिति के पदेन अध्यक्ष है। यह समिति स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी तथा राज्य एवं जिले स्तर पर विभिन्न विभागों से ताल-मेल कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। राज्य एवं जलपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुमोदन का दायित्व कार्यकारी समिति का होगा। राज्य स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध के कार्य समिति के अनुमोदन से किये जायेंगे। राज्य स्तर पर योजना का रूख खाता होगा जिसका संचालन मिशन निदेशक/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति स्टेट सेनीटेशन मिशन तथा नोडल आफिसर/स्टेट कोऑर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)/सदस्य सचिव, स्टेट सेनीटेशन मिशन द्वारा किया जायेगा। कार्यकारी समिति वर्ष में कम से कम दो बैठक करेगी।-

क्र. सं.	पदनाम	कार्यकारी समिति में स्तर
1	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	निदेशक पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	अपर आयुक्त मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	अपर निदेशक, मेडिकल केयर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	निदेशक, आईपीसीडीएफ, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7	अपर निदेशक, वैशिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9	महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
10	अपर निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी पंचायतीराज विभाग जउप्र०।	सदस्य
12	मिशन निदेशक/नोडल आफिसर, जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13	राज्य नोडल आफिसर/स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
14	अध्यक्ष द्वारा नामित स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत एक विशेषज्ञ	विशेष आमन्त्री

### स्टेट लेवल स्कीम सेक्सनिंग कमेटी

राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-1 के अन्तर्गत कार्यरत कार्यकारी समिति ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में स्टेट लेवल स्कीम सेक्सनिंग कमेटी होगी। इस समिति में तकनीकी मार्गदर्शन सुझाव हेतु तकनीकी विभाग के प्रतिनिधि तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, जिसमें यथावश्यक भारत सरकार के शोधजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के एक प्रतिनिधि भी होंगे। समिति का कार्य जनपदों से प्राप्त होत एव सरल अपशिष्ट प्रबन्धन के पी०आई०पी० एवं ए०आई०पी० प्रस्तावों का तकनीकी जांच एवं स्वीकृति प्रदान करना होगा।

### जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-1 अन्तर्गत जनपद स्तर पर पूर्व में गठित जिला स्वच्छता मिशन ही अब जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कहलायेगा, यह मिशन राज्य स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) से सम्बद्ध होगा, इसके निम्नलिखित अंग हैं:-

#### गवर्निंग बाडी:

जिला पंचायत अध्यक्ष गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष हैं। गवर्निंग बाडी वर्ष में छमाही बैठक करेगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:-

क्र.	पदनाम	गवर्निंग बाडी में स्तर
1	अध्यक्ष जिला पंचायत	अध्यक्ष
2	जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
4	माननीय सांसद (जनपद के समस्त)	सदस्य
5	माननीय विधायक(जनपद के समस्त)	सदस्य
6	माननीय सदस्य विधान परिषद (जनपद के समस्त)	सदस्य
7	जिला पंचायत की स्थायी समिति के समस्त अध्यक्ष	सदस्य
8	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
9	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
10	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण	सदस्य
11	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
12	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई०सी०टी०एस०)	सदस्य
13	अधिसाक्षी अभियंता जल निगम	सदस्य
14	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
15	जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक

जिला स्वच्छता समिति / जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति

जनपद स्तर पर पूर्व में गठित जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी अब जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति कहलायेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रतिमाह बैठक करेगी तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कोज-2 अन्तर्गत टोन्स एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्ययोजना (डी०पी०आर०) एवं अन्य आवश्यक प्रस्तावों पर निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान करेगी। समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। जनपद स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति के अनुमोदन से किये जायेंगे। जनपद स्तर पर खाते का संचालन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति अथवा उनके द्वारा अधीकृत मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति एवं जिला पंचायत राज अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यवाही कर्मियों का मानदेश, गात्र/दैनिक भत्ता, कार्यालय मद, वाहन किराया, पी.ओ.एल. आदि का अनुमोदन समिति से लेने के उपरान्त इनका मुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी के एकल बैंक खाता संचालन द्वारा किया जायेगा।

क्र.	पदनाम	जिला समिति में स्तर
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	कोषाधिकारी	सदस्य
4	व्यक्तिगत शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
6	परिशोधना निदेशक, डी.आर.डी.ए.	सदस्य
7	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
8	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
9	जिला कार्यक्रम अधिकारी(आई०सी०डी०एस०)	सदस्य
10	अभिशासी अभियन्ता जल निगम	सदस्य
11	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
12	जिला पंचायत सदस्य(एक)	सदस्य
13	स्वाक प्रमुख (दो)	सदस्य
14	प्रधान ग्राम पंचायत (लिंग) जिले में एक महिला प्रधान अनिवार्य रूप से होगी। प्रधानों का चयन अध्यक्ष जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति द्वारा किया जाएगा।	सदस्य

विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति

विकास खण्ड स्तर पर पूर्व में गठित विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी अब विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति कहलायेगी। खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रतिमाह बैठक करेगी। स्वच्छ



भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में इस समिति का कार्य ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त एवं खुले में शौचमुक्त के स्थायित्व धरण का प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना होगा। यह समिति प्रत्येक माह विकास खण्ड की समीक्षा कर प्रगति एवं रणनीति से जिला स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) समिति को अवगत करावेगी। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में सहयोग करेगी। विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उत्तरदायी होंगे।

**विकास खण्ड स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति**

क्र.	पदनाम	विकास खण्ड समिति में स्तर
1	खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	सदस्य सचिव
3	खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5	सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण)	सदस्य
6	माल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
7	आवर अभियन्ता जल निगम	सदस्य
8	क्षेत्र पंचायत सदस्य (एक) जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
9	प्रधान ग्राम पंचायत (तीन) जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

राज्य स्तर पर पूर्व में गठित राज्य स्वच्छता परियोजना प्रबन्धन इकाई - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में अब राज्य स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) (एस.एस.बी.एम.जी.) कहलावेगी, जो मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश के नियन्त्रण में कार्य करेगी तथा उनके नियंत्रणाधीन राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एस.एस.बी.एम.जी.) कार्य करेगी, जिसका बोधा निम्नप्रत् होगा-

- स्टेट कोऑर्डिनेटर/स्टेट नोडल अफिसर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-शासन द्वारा नामित पंचायतीराज विभाग के उपनिदेशक स्तर का अधिकारी।

कन्सल्टैन्ट	फेज-1 में कार्यरत	फेज-2
● एच०आर०डी०/क्षमता संवर्धन	- 1	- 1
● आई०ई०सी०	- 1	- 1
● अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	- 2	- 2
● एन०डब्ल्यू०एम०	- 1	- 1
● एल०अब्ल्यू०एम०	- 1	- 1
● एम०एच०एम०/एम०आई०एस०	- 1	- 1
● एम०आई०एस०	- 1	- 1

**अन्य**

● लेखाकार	- 1	- 1
● पी0एफ0एम0एम0 / लेखा	- 1	- 1
● कार्यालय सहायक	- 7	- 7
● डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	- 8	- 8
● स्वागती	- 1	- 1
● अनुमर	- 4	- 4
● वाहन चालक	- 1	- 1
● सफाई कर्मी	- 2	- 2

राज्य स्तर पर तेजाब कन्सल्टेन्ट/अन्य कार्यरत कर्मियों का मानदेय मात्रा भत्ता एवं अन्य समस्त व्यय राज्य स्तर पर उपलब्ध प्रशासनिक मद से किया जायेगा। इन पदों का पारिभगिक अन्य कार्यक्रमों (जैसे एस0अर0एल0एम0/एन0एच0एम0 मनरेगा आदि) की मानदेय/वेतन सरचना के अनुसार होगा।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

**मण्डल स्तर पर-** मण्डल स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) इकाई गठित है, जो मांडलीय उपनिदेशक (पंचायत) के नियंत्रण में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 में अनुसूचण, प्रचार प्रसार प्रशिक्षणों के आयोजन एवं जनपदों में क्षेत्र प्रभण कर सहयोग प्रदान करने तथा निरन्तर मिशन-कार्यालय को रिपोर्ट आदि उपलब्ध करावेगी जिसके त्रिये निम्नपदा कन्सल्टेन्ट्स की तैनाती की गयी है-

कन्सल्टेन्ट	फेज-1 में कार्यरत	फेज-2
● मंडलीय कन्सल्टेन्ट अनुसूचण एवं मूल्यांकन	- 1	- 1
● मंडलीय कन्सल्टेन्ट आई0ई0सी0	- 1	- 1
● डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	- 1	- 1

मण्डल स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु गठित इकाई पर होने वाले व्यय हेतु मण्डलीय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) इकाई को राज्य स्तर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

**जनपद स्तर-** स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत जनपद स्तर पर इकाई गठित है, जो स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 में कार्य करेगी, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारी है-

- जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)-सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी (पदेन)
- सहायक जिला समन्वयक (तकनीकी) एस.बी.एम.(जी)-सम्बन्धित जनपदों के सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) (पदेन)

● सहायक जिला समन्वयक एच.बी.एन.(जी)-सम्बन्धित जनपदों के अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पदेन)

कन्सल्टेन्ट	फेज-1 में कार्यरत	फेज-2
आई0ई0सी0 / एच0आर0डी0 / समता समर्पन	- 1	- 1
● अनुभवण एवं मूल्यांकन / एन0आई0एल0	- 1	- 1
● एन0एल0डब्लू0एम0	- 1	- 1
अन्य		
● लेखा सहायक / योजना सहायक	- 1	- 1
● डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	- 2	- 2

उक्त कन्सल्टेन्ट/कर्मि जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य/मण्डल कन्सल्टेन्ट को सहयोग प्रदान करेंगे। इन पदों का पारिश्रमिक अन्य कार्यकर्ता (जैसे एस0आर0एल0एम0 / एन0एच0एम0 मनसेगा आदि) की मानदेय/वेतन संरचना के अनुसार होगा।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

विकास खण्ड स्तर पर- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-1 अन्तर्गत विकास खण्ड स्वच्छता समिति गठित की गयी है, जिसमें सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (पदेन) ब्लॉक सीनीटेशन ऑफिसर हैं, जिनके सहयोग हेतु खण्ड प्रेरक तैनात हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 में कार्य करेंगी।

खण्ड प्रेरक (Block Motivator)	फेज-1 में कार्यरत	फेज-2
● खण्ड प्रेरक अनुभवण	- 1	- 1
● खण्ड प्रेरक सोशल मीडियाइजेशन	- 1	- 1
● डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	- 1	- 1

उक्त प्रेरक व डाटा इन्ट्री ऑपरेटर जिला पंचायत राज अधिकारी के नियंत्रण में एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) तथा जिला कन्सल्टेन्ट के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। विकास खण्ड स्वच्छता समिति, जिला और ग्राम पंचायत के बीच एक सेतु का काम करेगी और जागरूकता पैदा करने, प्रेरणा, प्रोत्साहन और ग्राम समुदायों तथा ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण देने के संदर्भ में निरंतर सहायता प्रदान करेगी।

उपरोक्त पदों में शीर्ष समिति के अनुमोदन से धनराशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति द्वारा विकास खण्ड स्वच्छता समिति को विकास खण्ड स्तर पर होने वाले समस्त प्रशासनिक गतिविधियों हेतु त्रैमासिक अपेक्षित धनराशि खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। विकास खण्ड स्वच्छता समिति का पृथक से खाता खोला जायेगा, जिसका संचालन खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक सीनीटेशन ऑफिसर एवं सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा, इस खाते में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अतिरिक्त अन्य धनराशि नहीं रखी जायेगी। इस खाते में प्राप्त होने वाले धनराशि सहायक विकास अधिकारी (पं०) के कार्यालय/स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) घर कम की प्रशासनिक क्रिया-कलापों हेतु

अथवा जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर व्यव ही जायेगी।

विकास स्वच्छ स्वच्छता समिति द्वारा प्रत्येक त्रैमास के उपरान्त उपभोग प्रमाण-पत्र एवं व्यव विवरण व मिल जिला पंचायत राज अधिकारी/सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त अगिलेखों की छायाप्रति विकास स्वच्छ स्तर पर संरक्षित रखी जायेगी।

उपरोक्त समस्त कन्सल्टेंट/अन्य कारगरत कर्मियों के मानदेय एवं यात्रा भत्तों का निर्धारण राज्य अजीविका मिशन में दिये जा रहे मानदेय के आधार पर किया जा सकता है, जिसका निर्णय कार्यकारी समिति, द्वारा किया जायेगा।

**ग्राम पंचायत स्तर पर जल और स्वच्छता समिति:-**

- ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समस्त समितियों अपने कार्यक्रम में स्वच्छता कार्य को प्राथमिकता देनी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर खोला गया खाता ग्राम निधि-8 का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उपयोगार्थ किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष खाते का ऑडिट किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत का वर्ष में कम से कम एक बार सोशल आडिट किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत एवं जल स्वच्छता समिति अपनी ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त करने एवं ओडडीएफ0 प्राप्त हेतु कार्य करेगी।
- इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण प्रेरणा देने, ग्राम कार्य योजना तैयार करने व प्रोत्साहन देने के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायत की एक उप-समिति के रूप में ग्राम जल और स्वच्छता समिति (जल एवं स्वच्छता समिति) का गठन किया जा सकता है। जल एवं स्वच्छता समिति में सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि और 6 अन्य सदस्य हो सकते हैं। इसकी कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति और समाज के गरीब वर्गों का, ग्राम पंचायत में उनकी आबादी के अनुपात में, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समिति को ग्राम पंचायत के जल और स्वच्छता की एक स्थायी समिति के रूप में कार्य करेगी और यह ग्राम पंचायत की अभिन्न अंग होगी। जल एवं स्वच्छता समिति की संरचना और कार्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। ग्राम पंचायत का प्रधान जल एवं स्वच्छता समिति का अध्यक्ष होगा।

**ओस एवं तरल अपशिष्ट प्रवन्धन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार वित्तीय प्रावधान किया गया है:-**

गतिविधि	वित्तीय व्यवस्था
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन वनराशि की व्यवस्था (पीपीएल एवं निवारित एपीएल)	अधिकतम रु० 12000 (शौचालय निर्माण एवं पानी हेतु स्टोरेज व्यवस्था के साथ)

<p>औसत एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रतिदिशि</p>	<p>घरम बचावका स्तर पर औसत एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की गतिविधियाँ</p>	<p>गांव की जनसंख्या को आधार पर</p>	<p>वित्तीय प्रावधान</p>
		<p>यदि घाम बचावका की जनसंख्या 5000 तक है</p>	<p>1- औसत अपशिष्ट प्रबन्धन रु० 60 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगमन किया जायेगा 2- तरल अपशिष्ट प्रबन्धन रु० 280 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगमन किया जायेगा।</p>
		<p>यदि घाम बचावका की जनसंख्या 5000 से अधिक है</p>	<p>1- औसत अपशिष्ट प्रबन्धन रु० 45 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगमन किया जायेगा। 2- तरल अपशिष्ट प्रबन्धन रु० 600 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगमन किया जायेगा। नोट- (जिस 28 तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु व्यय भी जाने वाली धनराशि में 30 प्रतिशत 15वां वित्त की धनराशि से किया जायेगा जिसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत उच्च मद से करेगी।</p>
	<p>जनसंख्या स्तर पर औसत एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की गतिविधियाँ</p>	<p>प्लास्टिक कस्ट मैनेजमेंट यूनिट (एक यूनिट प्रति विकास खण्ड)</p>	<p>अधिकतम रु० 15 लाख प्रति विकास खण्ड के अनुसार आगमन किया जायेगा।</p>
		<p>विकल स्लाब मैनेजमेंट</p>	<p>अधिकतम रु० 230 प्रति व्यक्ति के अनुसार आगमन किया जायेगा।</p>
		<p>गैट-का प्रोजेक्ट</p>	<p>अधिकतम रु० 50 लाख प्रति जनपद के अनुसार आगमन किया जायेगा।</p>
<p>सांयुक्तनिक संभालन निर्माण से लाभ होनेवाली धनराशि।</p>	<p>अधिकतम रु० 3 लाख प्रति यूनिट के अनुसार आगमन किया जायेगा। नोट- (सांयुक्तनिक संभालन हेतु व्यय भी जाने वाली धनराशि में 30 प्रतिशत 15वां वित्त की धनराशि से व्यय किया जायेगा। जिसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत उच्च मद से करेगी)</p>		
<p>प्रकार-अकार एवं प्रविष्टन से व्यय होनेवाली धनराशि।</p>	<p>फंड-1</p>	<p>स्वच्छ भारत मिशन प्रायोगिक मद में व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 5 प्रतिशत था। जिसमें से 0.60 प्रतिशत राज्य स्तर पर तथा 4.30 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जा रहा है।</p>	<p>फंड-2</p>
	<p>फंड-2</p>	<p>स्वच्छ भारत मिशन प्रायोगिक मद में व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 3 प्रतिशत होगा। जिसमें से 0.30 प्रतिशत राज्य स्तर पर तथा 2.50 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जायेगा।</p>	
<p>प्रशासनिक मद में व्यय होने वाली धनराशि।</p>	<p>फंड-1</p>	<p>स्वच्छ भारत मिशन प्रायोगिक मद की व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 2 प्रतिशत था। जिसमें से 0.20 प्रतिशत राज्य, 0.20 प्रतिशत मण्डल तथा 1.60 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जा रहा है।</p>	<p>फंड-2</p>
	<p>फंड-2</p>	<p>स्वच्छ भारत मिशन प्रायोगिक मद की व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 1 प्रतिशत होगा। जिसमें से 0.20 प्रतिशत राज्य, 0.20 प्रतिशत मण्डल तथा 0.60 प्रतिशत जनपद स्तर पर व्यय किया जायेगा।</p>	
<p>निर्वाचित मद</p>	<p>स्वच्छ भारत मिशन प्रायोगिक मद में व्यय होने वाली कुल धनराशि का अधिकतम 5 प्रतिशत होगा अथवा 1.5 करोड़ प्रति जनपद व्यय किया जा सकता है।</p>		
<p>भूतकाली फंड</p>	<p>राज्य आवस्यकतानुसार स्थितकाली फंड को परिचालन हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार व्यय कर जा सकता है।</p>		

2-अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हूँ, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 का निर्धारित वित्तीय प्रावधान के अनुसार क्रियान्वयन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
(मनोज कुमार सिंह) 108-2)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैन।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, परराज्य एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

  
31-7-21

आज्ञा से,  
  
(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

No. S-11011/2/2020-SHM-DWS  
 Government of India  
 Ministry of Jal Shakti  
 Department of Drinking Water and Sanitation  
 Swachh Bharat Mission (Grameen)



12<sup>th</sup> Floor, Pt. Deendayal 'Antyodaya Bhawan'  
 CGO Complex, Lodhi Road  
 New Delhi-110 003  
 Dated: 17.01.2022

To

The Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries,  
 In-charge of rural sanitation,  
 All States/UTs

**Subject: Swachh Bharat Mission (Grameen) (SBM(G)) Phase-II Guidelines – Amendment to the para 15.1 regarding programme funding provisions in SBM(G) Phase-II**

Sir,

I am directed to refer to the SBM(G) Phase-II Operational Guidelines and to convey that para 15.1 of the SBM(G) Phase-II guidelines regarding funding provisions for Gobardhan and Plastic Waste Management Units have been revised as under:

**"15.1 Programme funding Provisions in SBM(G) Phase II**

The various components and approved financial assistance for different components under SBM(G) Phase-II are as below:

Components		Financial assistance	
Incentive for construction of HHHLs (RPLs and Identified APLs)		Rs.12,000/- (including provision for water storage facility for handwashing and cleaning to maintain hygiene)	
SLWM activities	Village level SLWM activities	Village size	Financial support
		Upto 5000 population	Solid Waste Management: Upto Rs.60 per capita Greywater Management: Upto Rs.280 per capita
		Above 5000 population	Solid Waste Management: Upto Rs.45 per capita Greywater Management: Upto Rs.600 per capita
		Note- 1. 30% of this amount will be borne by the GPs from their 15th Finance Commission grants. 2. Each village can utilize a minimum of total Rs. 1 lakh based on their requirements for both solid waste and greywater management. 3. The savings under Solid Waste Management component, if any, in a village can be used for Grey Water Management in the same village and, similarly, savings under Grey Water Management component, if any, in a village can be used for Solid Waste Management in the same village.	

Encl: 2..

District level SLWM activities	Plastic Waste Management Unit (one in each Block)	Upto Rs.16 lakh per unit (The savings, if any, with respect to the prescribed funding norms for a block for setting up of PWMU can be used in another block, if required. Also, based on requirement, PWMUs can be set up in cluster mode for more than one block within the overall funds availability of such blocks.)
	Faecal Sludge Management (FSM)	Upto Rs.230 per capita
	GOBAR-Dhan Projects	Upto Rs.50 lakh per District (The savings, if any, with respect to the prescribed funding norms for a district for Gobardhan can be used in another district, if required. Also, based on requirement, Gobardhan units can be taken up in cluster mode for more than one district within the overall funds availability of such districts.)
Community Sanitary Complex (CSC)	Rs. 3 Lakh Note: 30% of this will be borne by GPs from 15 <sup>th</sup> FC	
IEC and Capacity Building	Up to 5% of the total funding for programmatic components (up to 3% to be used at State / District levels and up to 2% at Central level)	
Administrative Expenses	Up to 1% of the total funding for programmatic components	
Revolving Fund	Up to 5% of Project outlay subject to max. Rs. 1.5 crore per district	
Flexi Funds	The States can use flexi funds as per Ministry of Finance guidelines issued in this regard from time to time for innovations / technology options at the State level to meet the local needs and requirements within the overall objective of the Scheme.	

State / UT Governments will have the flexibility to provide higher incentive / additional funding from other sources such as 15<sup>th</sup> Finance Commission grants, MPLAD / MLALAD / CSR funds or through convergence with MGNREGS or other schemes of the State Government or Central Government (other than SBM-G), etc."

2. You are, therefore, requested to bring this to the notice of all the concerned implementing agencies in your State/UT for appropriate action.

3. This is issued with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

  
(Rampal Singh)

Deputy Secretary to the Government of India

Phone - 011-2436 9654

Email: rampal.singh67@gov.in

Copy to: Mission Directors/State Coordinators, SBM(G), All States/UTs